[2021] 2 उम. नि. प. 188

संदीप कुमार और अन्य

बनाम

उत्तराखंड राज्य और एक अन्य

[2017 की दांडिक अपील सं. 1512-1513]

2 दिसम्बर, 2020

न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन, न्यायमूर्ति के. एम. जोसफ और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304-ख [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-ख] – दहेज मृत्यु – उपधारणा – दहेज की मांग पूरी न करने के कारण अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा अभिकथित रूप से मृतका को विष देकर मृत्यु कारित किया जाना – विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को दोषमुक्त किया जाना – अपील न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति को उलटते हुए दोषसिद्ध किया जाना – जहां दहेज की मांग के लिए मृतका को तंग करने या उसके साथ क्रूरता करने की बात को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य न पाया गया हो, मृतका को विष देने की बात न तो मरणोत्तर परीक्षा और न ही न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट से दर्शित होती हो, दहेज की मांग करने और उसे पूरा करने के लिए ऋण लेने के संबंध में मृतका के पिता और भाई तथा अन्य साक्षियों के कथनों में स्पष्ट विरोधाभास पाया गया हो, मृतका के शरीर पर कोई क्षति भी न पाई गई हो, मृतका पूर्व में तपेदिक (टीबी) की रोगी रही हो और मृत्यु से पूर्व डाक्टरों द्वारा उपचार के दौरान उसका वजन टीबी के रोग के कारण सामान्य से कम पाया गया हो और टीबी के कारण आंतरिक अंगों के संकुलित होने की राय व्यक्त की गई हो, वहां अभियोजन पक्ष द्वारा मृतका की मृत्यु को अस्वाभाविक मृत्यु को सिद्ध करने में असफल रहने पर दहेज मृत्यु की उपधारणा नहीं की जा सकती है और अभियुक्तों को दोषमुक्त करना न्यायोचित होगा ।

इन अपीलों के तथ्य इस प्रकार हैं कि द्वितीय प्रत्यर्थी की पुत्री का

विवाह तारीख 10 दिसम्बर, 2009 को प्रथम अपीलार्थी के साथ हुआ था । उसकी विवाह के सात वर्ष के भीतर तारीख 23 जनवरी, 2011 को मृत्यु हो गई थी । मृतका के पिता ने यह अभिकथन करते हुए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की कि अपीलार्थियों ने जो कि मृतका का पति, ससुर और सास हैं, विवाह के कुछ दिनों के पश्चात् ही मृतका को दहेज की मांग को लेकर तंग करना आरंभ कर दिया था । अभियुक्त दस लाख रुपए देने की मांग कर रहे थे । मृतका के पिता ने अभिकथित रूप से जेवरात गिरवी रखकर एक लाख रुपए दिए थे । यह भी अभिकथन किया गया कि अभियुक्त मृतका को आत्महत्या करने के लिए उत्प्रेरित कर रहे थे । तारीख 23 जनवरी, 2011 को लगभग 9.30 बजे उसे अपनी पुत्री (मृतका) से एक फोन कॉल आई कि वह उसकी ससुराल आ जाए अन्यथा अभियुक्त उसे मार डालेंगे । अतः, मृतका का पिता और अन्य व्यक्ति वहां गए । उन्हें कार में मृतका का शव पड़ा पाया । अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के अधीन आरोप विरचित किया गया । विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि मृत्यु विष देकर कारित की गई थी । अभियुक्तों के मकान से कोई विष बरामद नहीं हुआ था । मृतका के विसरा में भी कोई विष नहीं पाया गया था । मौखिक साक्ष्य से दहेज की मांग को लेकर कोई क्रूरता करने या तंग करने की बात साबित नहीं हुई है और अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया । विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने पर उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अभियोजन पक्ष ने सम्यक् रूप से यह साबित किया है कि मृतका की मृत्यु दहेज के लिए क्रूरता और तंग करके कारित की गई थी और इससे मृत्यु के ठीक पूर्व दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता और तंग करने के संघटक साबित होते हैं । इस आधार पर अपीलार्थी धारा 498-क के साथ पठित धारा 304-ख और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के अधीन दोषी पाए गए । उसके पश्चात्, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 362 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए और यह अवेक्षा करते हुए कि गलती हुई है क्योंकि अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के अधीन गलत

रूप से दोषसिद्ध किया है, इन धाराओं के अधीन दोषसिद्धि को हटाने का आदेश दिया गया । उसके पश्चात्, अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के अधीन आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया । अभियुक्तों-अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल की गईं । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – इस मामले में, जहां तक प्रथम अपीलार्थी द्वारा दस लाख रुपए की मांग करने का संबंध है, तीन विचित्र विशेषताएं हैं । अभि. सा. 1, शिकायतकर्ता और मृतका के पिता ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि मृत्यु से लगभग एक माह पूर्व मृतका और प्रथम अपीलार्थी मवाना में उसके पास आए थे और प्रथम अपीलार्थी ने उससे दस लाख रुपए मांगे और कहा कि वे इस धनराशि को लौटा देंगे । उसने अपनी पुत्री की आंखों में आंसूओं को देखकर अपनी स्वर्गीय पत्नी के जेवरात गिरवी रखकर एक लाख रुपए उधार लिए और अपीलार्थी तथा अपनी पुत्री को दिए । तथापि, उसके पुत्र, अभि. सा. 2 ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि मृत्यु से चार माह पूर्व मृतका और प्रथम अपीलार्थी मवाना में उनके घर आए थे और दस लाख रुपए मांगे थे । उसने यह बयान दिया कि उसने अपनी पत्नी के जेवरात गिरवी रखकर एक लाख रुपए उधार लिए । इस प्रकार, मांग करने के समय और एक लाख रुपए उधार पर लेने की रीति के विषय में अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 दोनों के बयान स्पष्ट रूप से विरोधाभासी प्रतीत होते हैं । इसमें भी अधिक महत्वपूर्ण अभि. सा. 3, जो कि अभि. सा. 1 का साला है, द्वारा प्रस्तुत और अधिक विरोधाभास है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि घटना से दो माह पूर्व वह अभि. सा. 1 के घर गया था, जिसने उसे यह सूचित किया कि मृतका के ससुराल वाले किराए के प्रयोजन के लिए मकान का निर्माण करने के लिए दस लाख रुपए की मांग कर रहे हैं । अभि. सा. 1 ने अपनी असमर्थता व्यक्त की । अभि. सा. 3 ने आगे क्या कहा उसका उल्लेख करना महत्वपूर्ण है :– "उसके पश्चात्, प्रियंका (मृतका) के ससुराल वालों ने उसे बुरी तरह से यातना देना आरंभ कर दिया ।" यह उल्लेखनीय है कि अभि. सा. 1 ने यह स्वीकार किया है कि विवाह के पूर्व या विवाह के समय दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी । विवाह

तारीख 10 दिसम्बर, 2009 को हुआ था । मृत्यु तारीख 23 जनवरी, 2011 को हुई थी । यद्यपि अभि. सा. 1, अभि. सा. 3, अभि. सा. 4 और अभि. सा. 6 ने दहेज को लेकर तंग करने के बारे में कथन किया है, तो भी विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने इन्हें तात्विक रूप से विश्वसनीय नहीं पाया । यह उल्लेखनीय है कि दस लाख रुपए की मांग करने के बारे में दिया गया वृत्तांत पूरी तरह से अस्वीकार्य पाया गया है । विचारण न्यायालय के पास साक्षियों के हाव-भाव देखने का अवसर था । अन्वेषक अधिकारियों – अभि. सा. 10 और अभि. सा. 11 ने अपीलार्थियों के पड़ोसियों से कोई पूछताछ नहीं की थी । जैसा कि प्रति. सा. 3 के साक्ष्य से दिखाई पड़ता है, मृतका बी. एड. पाठ्यक्रम कर रही थी । अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 द्वारा किसी प्राधिकारी को कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं दी गई थी । न्यायालय को अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 और अभि. सा. 6 के परिसाक्ष्य के सिवाय ऐसी कोई सामग्री दिखाई नहीं देती है जो किसी भी प्रकार से विचारण न्यायालय को विश्वासोत्पादक लगी हो । यह न्यायालय को भी किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं लगती है । मृतका की चाची, अभि. सा. 6 ने भी अभियोजन पक्ष के समर्थन में साक्ष्य दिया है । न्यायालयिक रिपोर्ट तारीख 28 मार्च, 2014 की है । इसमें यह उल्लिखित है कि प्रदर्शों में धात्विक विष, एथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, साइनाइड, फास्फाइड्स, एल्कालाइड्स, बार्बीयूरेट्स, प्रशांतक और नाशकजीवमार (पेस्टीसाइड्स) कीटनाशक नहीं पाए गए थे । ऐसा कोई लक्षण नहीं है, जो विष देने की बात को इंगित करते हों । मरणोत्तर परीक्षा में विष देने की बात को दर्शित करने वाला कोई प्रकटन सामने नहीं लाया गया है । साक्षियों के साक्ष्य से विष देने की बात सिद्ध नहीं होती है ।

यह ध्यान देने योग्य है कि इस मामले में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो उच्च न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सकता था कि उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्यकारी कारण हैं । विचारण न्यायालय द्वारा किए गए साक्षियों के साक्ष्य के मूल्यांकन में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है जब तक कि यह साक्ष्य का गलत अनुशीलन करने या विधि की गलत समझ पर आधारित मामला न पाया गया हो । जब उच्च न्यायालय ने यह

अभिकथित किया कि अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य है कि अभियुक्त मृतका से दहेज की मांग कर रहे थे, तब उच्च न्यायालय द्वारा दस लाख रुपए की मांग की विशेषताओं पर ध्यान दिए बिना ऐसा किया गया था । जहां तक अन्य साक्ष्य का संबंध है, विचारण न्यायालय द्वारा उस साक्ष्य को विश्वासोत्पादक न होने के कारण स्वीकार नहीं किया गया था । अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि मामले में दो मत संभव थे । यदि ऐसी स्थिति थी, तो भी इस बात से उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय के उस निर्णय को उलटने का आधार प्राप्त नहीं होता है जिसमें वे निष्कर्ष अंतर्विष्ट हैं जिनको इस न्यायालय ने निर्दिष्ट किया है । यह न्यायालय नहीं समझता कि यह एक ऐसा मामला है जहां विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को अनुचित कहा जा सकता हो । इस न्यायालय के मत में, उच्च न्यायालय ने किसी न्यायोचित्य के बिना दोषमुक्ति को उलट दिया था । उच्च न्यायालय ने इस परिस्थिति का अवलंब लिया कि मृतका का शव कार से बरामद हुआ था । प्रथम अपीलार्थी का यह पक्षकथन है कि वह मृतका को कई सारे अस्पतालों में लेकर गया था । यह भी पक्षकथन है कि उन्होंने स्वयं पुलिस को सूचित किया था । यह न्यायालय इस परिस्थिति को निश्चित रूप से एक ऐसी परिस्थिति नहीं पाता है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि मृतका की अस्वाभाविक मृत्यु हई थी या अपीलार्थियों ने उसे विष दिया था । न्यायालय का यह विचार है कि उच्च नयायालय ने अपीलार्थियों की दोषमुक्ति में हस्तक्षेप करके स्पष्ट रूप से गलती की थी । (पैरा 37, 39, 40, 41, 55, 56 और 63)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2014]	(2014) 4 एस. सी. सी. 54 : **छोटन साव और एक अन्य** बनाम **बिहार राज्य** ;	31, 60
[2012]	ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 1142 : **शानुमुघन** बनाम **केरल राज्य** ;	52
[2008]	(2008) 10 एस. सी. सी. 450 : **घुरे लाल** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	34

[2003] (2003) 1 एस. सी. सी. 169 :
जयपाल बनाम **हरियाणा राज्य** ; 51

[1988] (1988) 3 एस. सी. सी. 513 :
भूपिन्द्र सिंह बनाम **पंजाब राज्य** ; 50, 51, 52

[1985] [1985] 1 उम. नि. प. 995 =
(1984) 4 एस. सी. सी. 116 :
शरद बिरधीचंद शारदा बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; 49, 51

[1960] ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 500 : 26, 47,
अनंत चिंतामण लागू बनाम **बम्बई राज्य** ; 52, 53

[1956] (1956) 8 डब्ल्यू. आर. 965 :
सुब्रमण्यन बनाम **लोक अभियोजक** । 58

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2017 की दांडिक अपील सं. 1512-1513.

2017 की दांडिक अपील सं. 61 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल के तारीख 14 जुलाई, 2017 के निर्णय और आदेश, जिसे तारीख 19 जुलाई, 2017 और 24 जुलाई, 2017 के आदेश द्वारा उपांतरित किया गया, के विरुद्ध अपील ।

हाजिर होने वाले पक्षकारों की ओर से सर्वश्री सिद्धार्थ दवे, ज्येष्ठ अधिवक्ता, विवेक गुप्ता, मृण्मय भट्टमेवरा, संजय कुमार दूबे, सूचि सिंह, कृष्ण कांत दूबे, राजीव रंजन द्विवेदी, राकेश कुमार तिवारी, जतिन्द्र कुमार भाटिया और कृष्णम मिश्रा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति के. एम. जोसफ ने दिया ।

न्या. जोसफ – अपीलार्थियों को, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोपित किए गए थे, विद्वान् सेशन न्यायाधीश, हरिद्वार द्वारा उक्त आरोप से दोषमुक्त कर

दिए गए थे । तथापि, शिकायतकर्ता/इस अपील में प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा फाइल की गई अपील में दोषमुक्ति के निर्णय को अपास्त कर दिया गया और अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के अधीन दोषसिद्धि के पश्चात् आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया ।

2. हमने अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ कांउसेल, श्री सिद्धार्थ दवे, प्रथम प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल, श्री कृष्णम मिश्रा और द्वितीय प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल, श्री संजय कुमार दूबे को सुना ।

3. द्वितीय प्रत्यर्थी द्वारा तारीख 23 जनवरी, 2011 को 5.00 बजे अपराह्न् में दी गई शिकायत के आधार पर एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । इसके परिणामस्वरूप अपीलार्थियों को अंतत: भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के अधीन अपराध कारित करने के लिए आरोप-पत्रित किया गया । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्य अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित हैं :–

> द्वितीय प्रत्यर्थी की पुत्री का विवाह तारीख 10 दिसम्बर, 2009 को प्रथम अपीलार्थी के साथ हुआ था । विवाह के कुछ दिनों के पश्चात् अपीलार्थियों ने, जो उसकी मृतक पुत्री का पति, ससुर और सास हैं, उसे दहेज के लिए तंग करना आरंभ कर दिया । लगभग एक माह पहले, उसकी पुत्री और दामाद उसके घर आए और वहां दो दिन रहे । इन दोनों दिन उसके दामाद अर्थात् प्रथम अपीलार्थी ने उससे, उसके पुत्रों और पुत्रों की पत्नियों से मकान का निर्माण करने के लिए 10 से 15 दिन के भीतर दस लाख रुपए की राशि देने की मांग की । द्वितीय प्रत्यर्थी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की । उसके पश्चात् अपनी पुत्री के आंसू देखकर, जिसने यह कहा था कि उसके माता-पिता को अवश्य यह रकम दे दी जानी चाहिए अन्यथा वे उसे मार डालेंगे, उसे सांत्वना देकर भेज दिया गया । उसके पश्चात् उसकी पुत्री ने अभिकथित रूप से उसे, उसके परिवार को और उसके नातेदारों को फोन किया और उन्हें यह सूचित किया कि उसका पति, सास और ससुर धन लाने के लिए उसे यातना दे रहे हैं और उसे आत्महत्या करने के लिए उकसा रहे

हैं । तारीख 23 जनवरी, 2011 को लगभग 9.30 बजे पूर्वाह्न में उसे अपनी पुत्री से फोन कॉल प्राप्त हुई कि वह हरिद्वार आ जाए अन्यथा वे आज ही उसे मार डालेंगे । इसलिए वे वहां गए । पुत्री का शव उनके द्वारा विवाह में दी गई कार में पाया । पुत्री की मृत्यु विष देकर की गई थी और अपीलार्थी उत्तरदायी हैं ।

4. आरोप पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उल्लेख किया गया कि अन्वेषण और साक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्य तथा घटनास्थल से की गई सामग्री की बरामदगी के आधार पर, जिसमें मृतका की उल्टी अंतविष्ट है और जिसे अभियुक्तों द्वारा साफ कर दिया गया था, धारा 304-ख के अधीन अपराध साबित होता है ।

5. विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष ने 11 साक्षियों की परीक्षा की । अपीलार्थियों ने चार साक्षियों प्रति. सा. 1 से प्रति. सा. 4 की परीक्षा कराई । न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट सहित कई दस्तावेज प्रस्तुत किए गए ।

अभियोजन पक्ष का साक्ष्य

6. अभि. सा. 1 कोई और नहीं अपितु मृतका का पिता है । उसने, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित अभिसाक्ष्य दिया :–

> विवाह से पहले अपीलार्थी और अन्य नातेदार आए थे और उन्होंने उससे किसी दहेज की मांग नहीं की थी । उन्होंने विवाह में अल्टो कार दी थी किन्तु उन्होंने सेंटरो कार की मांग की । उसने सेंटरो कार की व्यवस्था की । उसने पंद्रह लाख रुपए खर्च किए थे । विवाह के समय पर कोई विवाद नहीं हुआ । विवाह के पश्चात् जब वे मिलने के लिए आए, उस समय पर भी दहेज की कोई मांग नहीं थी । मृतका का विवाह से पूर्व बी. एड. में दाखिला हो गया था । विवाह के पश्चात् इन व्यक्तियों (अपीलार्थियों) ने बी. एड. पूरी करने के लिए कहा और खर्च मृतका के पिता द्वारा उठाया जाना था । इस प्रकार, अपीलार्थियों की इच्छा अनुसार उसने खर्च वहन किया । एक माह पश्चात् उसकी पुत्री आई और अपीलार्थियों ने कहा कि उनका विवाह 20-25 लाख में तय होना चाहिए था । इस

बात का विरोध करने पर अपीलार्थियों ने कहा कि गलती हो गई है और वे ऐसी बात नहीं कहेंगे । उसके पश्चात् मृतका इसी बीच यह कहती रहती थी कि अपीलार्थी दस लाख रुपए मांग रहे हैं । तीन से चार माह पहले उसे मृतका का फोन आया था कि अपीलार्थी जबरदस्ती उस पर विष खा लेने का दबाव डाल रहे हैं और दस लाख रुपए की मांग कर रहे हैं । उसने प्रथम अपीलार्थी के नातेदार को फोन किया और बीच-बचाव करने के लिए कहा । उस बिचौलिया से जिसने विवाह तय कराया था, संपर्क किया गया (यह उल्लेखनीय है कि बिचौलिया की परीक्षा नहीं की गई है) । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उनके द्वारा और उसके पुत्र (अभि. सा. 2) द्वारा ये तथ्य सामने लाने पर और यह कहने पर कि क्यों न उसे पुलिस में शिकायत दर्ज कर देनी चाहिए, द्वितीय अपीलार्थी ने कहा कि वह पुलिस को संभाल लेगा और प्रथम अपीलार्थी ने पुन: क्षमा याचना की । वे सभी एक मकान में इकट्ठा रहते हैं । पुन:, लगभग एक माह पहले प्रथम अपीलार्थी मृतका के साथ उसके घर पर आया था और मकान का निर्माण करने के लिए दस लाख रुपए की मांग करने लगा और कहा कि वे यह धनराशि लौटा देंगे । प्रथम अपीलार्थी दो दिन इस साक्षी के घर रहा । मृतका ने भी इस साक्षी से कहा कि धन की व्यवस्था कर दी जाए अन्यथा अपीलार्थी उसे मार डालेंगे । उसने अपनी पत्नी के जेवरात गिरवी रखे और अपनी पुत्री और दामाद को एक लाख रुपए दिए । वे वापस चले गए । तारीख 23 जनवरी, 2011 को सवेरे 9.30 बजे, दुर्भाग्यपूर्ण दिन, उसे मृतका से एक फोन कॉल आई और उसने कहा कि वह हरिद्वार आ जाए अन्यथा अपीलार्थी उसे (मृतका को) मार डालेंगे । उसने अपनी सबसे बड़ी पुत्री (अभि. सा. 4) से फोन पर बात की । उसके फोन करने पर अपीलार्थी सं. 1 की बहिन ने उसे बताया कि मृतका की हालत ठीक नहीं है । उसने अपीलार्थी की बहिन से मृतका को अस्पताल ले जाने के लिए कहा । वे 3.00 बजे अपराह्न में हरिद्वार पहुंचे जहां मृतका रहती थी । मृतका का शव सेंटरो कार में पड़ा हुआ था । उसने पहले 100 नम्बर पर कॉल की जिसे पुलिस स्टेशन, रुड़की द्वारा प्राप्त किया

गया । उसने पुलिस द्वारा दिए गए नम्बर के आधार पर पुलिस थाना, रानीपुर में भी कॉल की किंतु उससे पहले ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई थी । विवाह के समय, उसने अपने पीएफ खाते से दो लाख रुपए का ऋण लिया था । अभि. सा. 1 के चार बालक हैं और मृतका सबसे छोटी थी । वर्ष 2009 में उसे कटौती करने के पश्चात् 10,000/- रुपए प्राप्त हो रहे थे । प्रथम अपीलार्थी साफ्टवेयर इंजीनियर है । उसने इनकार किया कि कोई मांग नहीं की गई थी । वह नहीं जानता कि क्या द्वितीय अपीलार्थी को जब वह जुलाई में बीएचईएल से जनरल टेक्नीशियन के रूप में सेवानिवृत्त हुआ था, पैंतीस लाख रुपए मिले थे । सेंटरो कार का पंजीकरण उसके नाम पर है । उसने इस बात से इनकार किया कि वह सेंटरो कार का उपयोग कारबार के लिए करता रहता है और इसे अक्सर उसकी पुत्री और प्रथम अपीलार्थी को देता रहता है । उसने कार को न्यायालय से निर्मोचित कराने की बात स्वीकार की । विवाह के पश्चात् दो-तीन बार वह द्वितीय अपीलार्थी के मकान पर गया था और वहां ठहरा था । मृतका के विवाह के पश्चात् वह और उसके परिवार के सदस्य मृतका पुत्री से बात करते रहते थे । वह यह कहने में असमर्थ है कि किस तारीख, माह और वर्ष को मृतका ने उसे यह बताया था कि अपीलार्थी यह कह रहे हैं कि उन्हें विवाह में 20-25 लाख रुपए मिल रहे थे । उसके पश्चात् उसने यह कहा कि यह विवाह के एक वर्ष पश्चात् वर्ष 2011 की बात है (यह उल्लेखनीय है कि अभि. सा. 11 ने मुख्य परीक्षा में यह कहा था कि मृतका ने इस बारे में विवाह के एक माह पश्चात् बताया था) । मृतका ने उसे धन की मांग के संबंध में उसके अपनी ससुराल पहुंचने के 5-6 माह पश्चात् बताया था और इस अवधि के दौरान उसने यह बात उसे दस से भी अधिक बार बताई थी । वह कभी भी महावीर सिंह से नहीं मिला था । उसने यह नहीं बताया था कि कब मृतका ने सल्फास (एक प्रकार का विष) खाने के संबंध में बताया था । पांच से छह माह में ससुराल वालों के घर से 10 फोन कॉल आई थी । वह यह नहीं कह सकता कि क्या अपीलार्थियों ने तारीख 1 दिसम्बर, 2010 को प्रति. सा. 1 डा. के. के. अग्रवाल,

हरिद्वार से उसकी पुत्री का चिकित्सीय परीक्षण कराया था या नहीं और तारीख 18 दिसम्बर, 2010 को सुपर पेथालॉजी, शिवालिक नगर, हरिद्वार से उसका एक्स-रे कराया था और तारीख 11 मई, 2011 को उसकी जांच की गई थी या डा. ममता त्यागी से उसका उपचार कराया था या नहीं । वह नहीं जानता कि उसकी पुत्री की रुग्णता का उसके पैतृक घर पर उपचार कराया था । प्रथम अपीलार्थी बी. टेक है । उसने इस बात से इनकार किया कि उसने तारीख 23 दिसम्बर, 2011 को उसे यह सूचित किया था कि उसकी पुत्री की हालत ठीक नहीं है । सुझाव यह दिया गया कि फोन बंद था । अभि. सा. 1 ने यह कथन किया कि वह नहीं जानता कि प्रथम अपीलार्थी उसकी पुत्री को शताब्दी अस्पताल ले गया था या नहीं जब उसकी हालत गंभीर हो गई थी । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि वह नहीं जानता कि क्या प्रथम अपीलार्थी उसकी पुत्री को शताब्दी अस्पताल से जिला अस्पताल लेकर आया था जहां उसका उपचार किया गया था । वह नहीं जानता कि क्या जिला अस्पताल के परामर्श पर प्रथम अपीलार्थी उसकी पुत्री को जोल्ली ग्रांट अस्पताल, बीएचईएल लाया था या नहीं । उसने यह बात स्वीकार की कि घटना के दिन जब वह अपनी पुत्री के घर पहुंचा तो उसने अपीलार्थियों से यह नहीं पूछा था कि उसकी पुत्री की मृत्यु कैसे हुई । यह सुझाव देने पर कि पुलिस प्रथम अपीलार्थी की सूचना के आधार पर आई थी, उसने इस बात से इनकार किया । उसने इस बात से इनकार किया कि विवाह किसी दहेज के बिना साधारण रीति में किया गया था । उसने यह कथन किया कि जब वह वहां पहुंचे तब उसकी पुत्री के ससुराल वाले वहां नहीं थे ।

7. अभि. सा. 2 मृतका का भाई है । उसने यह कथन किया कि अपीलार्थी नियमित रूप से उसकी बहिन को ताने मारते रहते थे । सास-ससुर ने कभी भी उसकी बहिन को पूरा भोजन नहीं दिया । घटना से चार माह पूर्व प्रथम अपीलार्थी के साथ-साथ उसकी बहिन ने दस लाख रुपए देने के लिए कहा था । उसने यह कहा कि अपनी पत्नी के जेवरात गिरवी रखकर उसने एक लाख रुपए दिए थे । उसने मृतका से आई तारीख 23 जनवरी, 2011 की फोन कॉल का उल्लेख किया । उसने कहा

कि शव का परिशीलन करने पर यह प्रतीत हो रहा था कि उसकी बहिन की मृत्यु विष के कारण हुई थी । वह इस बात को स्पष्ट करने में असमर्थ है कि यह कथन कि उसके पिता ने विवाह के दौरान 15 लाख रुपए खर्च किए थे, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन किए गए उसके कथन में नहीं पाया गया है यद्यपि उसने इसका उल्लेख किया था । एक अन्य चिहिन्त लोप उसकी बहिन के सास-ससुर(अपीलार्थी 2 और 3) पर लगाए गए इस लांछन पर किए गए कथन के बारे में है कि वे दहेज की मांग करते रहते हैं और यह कि उनके पुत्र का विवाह 20-25 लाख रुपए का हो सकता था । उन्होंने मृत्यु की तारीख को की गई शिकायत के अतिरिक्त अपीलार्थियों के विरुद्ध कहीं भी कोई शिकायत नहीं की थी । उसने तारीख 23 जनवरी, 2011 को अपनी बहिन से फोन पर बात नहीं की थी और न ही उस दिन उसके ससुराल वालों से बात की थी । यद्यपि उसके पास एक मोबाइल फोन था तो भी बहिन और ससुराल वालों से कोई बात नहीं हुई थी । चार-पांच घंटे की यात्रा के दौरान कार में बैठे हुए उन्होंने रुड़की के निकट केवल बहिन से बात की थी । बहिन ने फोन किया था । उसकी आवाज बहुत ही मंद थी । रुड़की से हरिद्वार पहुंचने में डेढ़ से दो घंटे लगे थे । उसके पिता ने कार में से ही 100 नम्बर पर फोन किया था । रुड़की अभि. सा. 2 के मकान से लगभग 100 किलोमीटर है । जब द्वितीय अपीलार्थी बीएचईएल से सेवानिवृत्त हुआ था तब विदाई समारोह के लिए उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था और इसलिए उनके परिवार से कोई नहीं गया था (उल्लेखनीय है कि अभि. सा. 1 ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि उसे प्रीतिभोज के लिए आमंत्रित किया गया था) । उसकी मृतका के साथ अच्छी बोलचाल थी । उसे वह माह, तारीख याद नहीं है जब मृतका ने 10 लाख रुपए की मांग के बारे में बताया था किंतु यह मांग वर्ष 2010 में की गई थी । उसने कहा कि उसकी बहिन को कोई बीमारी नहीं थी और इसलिए उन्होंने विवाह से पूर्व कोई उपचार नहीं कराया था । उसके समक्ष इस सुझाव को स्पष्ट तौर पर रखा गया था कि अपीलार्थी तारीख 23 जनवरी, 2011 को मृतका को तीन अस्पतालों में लेकर गया था । जब रुड़की में मृतका का फोन आया था, वहां से अभियुक्तों के घर पहुंचने में डेढ़ से दो घंटे लगे थे ।

8. अभि. सा. 3, अभि. सा. 1 के एक नातेदार (जीजा) ने यह कथन किया कि 10 लाख रुपए की मांग करने और अभि. सा. 1 द्वारा एक लाख रुपए का संदाय करने के पश्चात् भी अपीलार्थी द्वारा मांग की गई और यातना दी गई । उसने स्वयं अपनी आंखों से मृतका को कोई यातना देते हुए नहीं देखा था । ससुराल वालों के तंग करने और यातना देने के बारे में पता चलने के पश्चात् भी वह कभी भी न तो स्वयं और न ही अभि. सा. 1 या किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपीलार्थियों के घर गया था ।

9. अभि. सा. 4 मृतका की बहिन है । उसने यह कहा था कि अपीलार्थी सं. 2 और 3 मृतका को धन लेने के लिए यातना देते रहते थे और वे उसे टेलीविजन नहीं देखने देते थे और उसे अपने माता-पिता के घर से टेलीविजन ले आने के लिए कहते थे । इस साक्षी ने तारीख 23 जनवरी, 2011 को 10.00 बजे पूर्वाह्न् में फोन किया था जिसका प्रथम अपीलार्थी की बहिन द्वारा उत्तर दिया गया था और उसने बताया कि मृतका की हालत खराब है और यह पूछने पर कि उसे अस्पताल लेकर गए, तो अपीलार्थी की बहिन ने कहा कि अभी तक वे उसे अस्पताल लेकर नहीं गए हैं । इस साक्षी ने कहा कि वह सबसे बड़ी है । उसकी मां है । उसने कहा कि अपनी मृत्यु से एक माह पूर्व मृतका अपने घर आई थी । इस साक्षी के धारा 161 के अधीन किए गए कथन में यह लोप निकल कर आया कि मृतका अपने माता-पिता को यातना देने और धन के लिए मांग करने के बारे में बता रही थी । उसने दोहराया कि यह बात पुलिस को बताई गई थी । एक अन्य लोप जो पाया गया है वह उसके द्वारा पुलिस को किए गए इस अभिकथित कथन के संबंध में है कि अभि. सा. 1 (उसके पिता) से एक फोन आया था जिसमें उसने उसे मृतका के ससुराल वालों के घर लैंडलाइन नम्बर पर फोन करने के लिए कहा था । उसने स्वयं अपनी आंखों से कभी भी किसी व्यक्ति द्वारा अपनी बहिन की पिटाई करते हुए नहीं देखा था । उसने यह भी कहा कि उसे नहीं पता कि उसकी बहिन की मृत्यु कैसे हुई (यद्यपि मुख्य परीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया था कि उसकी बहिन को दहेज की मांग को लेकर मार दिया गया था) । उसने कहा कि उसकी बहिन बहुत ही

संवदेनशील थी । उसने कहा कि अपीलार्थियों ने उसकी बहिन की हत्या की थी और वे दहेज की मांग करते रहते थे । अपीलार्थियों द्वारा मृतका की हत्या करने के बारे में धारा 161 के अधीन किए गए उसके कथन में लोप को प्रकट किया गया । उसने इस बात से इनकार किया कि जब वे तारीख 23 जनवरी, 2011 को अपीलार्थियों के घर गए थे तब वे घर में मौजूद थे ।

10. अभि. सा. 5 वह डाक्टर है जिसने मरणोत्तर परीक्षा की थी । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि मृतका का शव कठोर था । मरणोत्तर परीक्षा तारीख 24 जनवरी, 2011 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में की गई थी । अत: घटना का समय 24 घंटे के भीतर का था । शव पर किसी क्षति का कोई चिह्न नहीं था । सभी अंग संकुलित पाए गए थे । विसरा परिरक्षित रखा गया था । मृतका की मृत्यु संभवत: तारीख 23 जनवरी, 2011 को 2.30 बजे अपराह्न से 3.00 बजे अपराह्न में हुई थी । उसने प्रतिपरीक्षा में निम्नलिखित कथन किया :-

> मरणोत्तर परीक्षा के पश्चात्, वह मृत्यु के कारण के बारे में निश्चायक नहीं था और इसलिए उसने कारण जानने के लिए विसरा तथा यकृत और प्लीहा का एक-एक टुकड़ा परिरक्षित और मुहरबंद कर लिया था । वर्तमान मामला संवेदनशील प्रकृति का होने के कारण, डाक्टरों के एक पैनल ने अत्यधिक सावधानी और सतर्कता से मरणोत्तर परीक्षा की थी । यह पुष्टि की जानी थी कि क्या मृतका के शव पर कोई बाह्य क्षति है या गला घोंटने के चिह्न हैं या मृत्यु के चिह्नों को छिपाया तो नहीं गया है । उसने आगे यह कहा कि खाद्य विषाक्तता के कारण, अंग संकुलित हो सकते हैं और तपेदिक के कारण मृत्यु हो सकती थी, चूंकि तपेदिक के कारण आंतरिक अंग संकुलित हो सकते हैं ।

दो अन्वेषक अधिकारी

11. अभि. सा. 10 ने तारीख 23 जनवरी, 2011 को अन्वेषण आरंभ किया था । उसने श्रीमती इमलेश (मृतका की चाची) (जिसकी अभि. सा. 6 के रूप में परीक्षा की गई थी) और अभि. सा. 4 (मृतका

की बहिन) का भी कथन लिया । तारीख 5 मार्च, 2011 को प्रोन्नति होने के कारण उसका स्थानांतरण कर दिया गया था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा कि उसने उसी दिन (23 जनवरी, 2011 को) 5.00 बजे अपराह्न के पश्चात् अन्वेषण आरंभ कर दिया था । जब वह घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए गया था, उस समय दरवाजा बंद नहीं था और मकान में कोई अभियुक्त मौजूद नहीं था । उसने कथन किया कि उसने डायरी में यह विनिर्दिष्ट नहीं किया था कि अभियुक्तों को मकान में ढूंढा गया था और वे उसे नहीं मिले थे । घटना का स्थल शिवालिक नगर है । वहां अभियुक्तों के मकान के निकट विभिन्न स्थानीय व्यक्तियों के कई मकान हैं । उसने यह बात स्वीकार की कि उसने पड़ोस के किसी व्यक्ति से घटना के संबंध में पूछताछ नहीं की थी । उसने यह भी कथन किया कि उसने दहेज की मांग के संबंध में किसी स्वतंत्र साक्षी से कोई साक्ष्य एकत्रित नहीं किया था । प्रदर्श क-15 में अभियुक्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी करने के किसी कारण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । उसने तारीख 3 मार्च, 2011 तक अन्वेषण किया था । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) ने यह कथन किया था कि एक माह पूर्व प्रथम अपीलार्थी मृतका के साथ उनके घर आया था और उसने यह कहा था कि वह किराए के प्रयोजनार्थ एक द्वितीय मकान का निर्माण कर रहा है और इसलिए 10,00,000/- रुपए की मांग की, जो वह लौटा देगा । अभि. सा. 2 ने उसे यह नहीं बताया था कि उसके पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार 15,000,00/- रुपए खर्च किए थे । उसने यह कहा कि यह सही है कि प्रियंका की मृत्यु के कारण में 'दहेज' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था । यह भी कथन किया गया कि श्रीमती इमलेश (मृतका की चाची और जिसकी अभि. सा. 6 के रूप में परीक्षा की गई थी) ने मृतका को उसके ससुराल वालों द्वारा तंग करने में 'दहेज' शब्द का प्रयोग नहीं किया था । श्रीमती इमलेश ने अपने कथन में उसे यह नहीं कहा था कि ससुर ने कभी मृतका को दहेज के लिए तंग किया था । उसने स्वीकार किया कि यह बात सही है कि अन्वेषण के दौरान प्रथम अपीलार्थी ने उसे यह सूचित किया था कि वह मृतका को चिकित्सीय उपचार के लिए विभिन्न अस्पतालों में लेकर गया था । यह तथ्य उसकी जानकारी में प्रथम

अपीलार्थी के कथन से आया था । अभि. सा. 10 ने यह स्वीकार किया कि उसने मृतका के उपचार और मृत्यु के कारण के संबंध में किसी अस्पताल से कोई अन्वेषण नहीं किया था । वह कारण बताने में असमर्थ है कि क्यों उसने ऐसा नहीं किया था ।

12. अभि. सा. 11 वह अन्वेषक अधिकारी है जिसने तारीख 5 मार्च, 2011 को अभि. सा. 10 से अन्वेषण का कार्य संभाला था । उसने यह कथन किया कि साक्षियों के कथन अभिलिखित करने के पश्चात् और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उसने तारीख 18 अप्रैल, 2011 को अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया था । उसने भी किसी पड़ोसी का कोई कथन अभिलिखित करके अन्वेषण नहीं किया था । उसने यह स्वीकार किया कि यह आवश्यक है कि धारा 304-ख के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत करने के लिए मृत्यु अस्वाभाविक होनी चाहिए । अभि. सा. 5, डाक्टर, जिसने मरणोत्तर परीक्षा की थी, की राय में मृत्यु का कारण अज्ञात था । उसने मृत्यु का कारण जानने के लिए विसरा परिरक्षित रखा था । जब इस साक्षी से इस बारे में पूछा गया कि क्या आरोप पत्र के फाइल होने तक उसके पास मृत्यु की अस्वाभाविक मृत्यु के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य था, तो उसका उत्तर यह था कि उसके पास केवल मौखिक साक्ष्य था । जब इस साक्षी से आगे इस बारे में प्रश्न पूछा गया कि अस्वाभाविक मृत्यु के संबंध में किस साक्षी के बारे में क्या साक्ष्य उपलब्ध था, तो उसने यह कहते हुए उत्तर दिया कि जब मृतका की मृत्यु हुई थी, तब मृतका अपने परिवार के सदस्यों के साथ नहीं थी । उस समय सभी तीनों अपीलार्थी उसके साथ थे । इसलिए अभियुक्त व्यक्तियों का मौखिक साक्ष्य अभिलिखित करना संभव नहीं था । इस साक्षी ने यह बात स्वीकार की कि यह सही है कि अन्वेषण के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु के संबंध में कोई लोक साक्षी नहीं पाया था । अभि. सा. 11 ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि अभि. सा. 10 ने प्रथम अपीलार्थी का यह कथन अभिलिखित किया था कि वह मृतका को अस्पताल लेकर गया था । उसने यह स्वीकार किया कि उसकी जानकारी में यह बात पूर्ववर्ती अन्वेषक अधिकारी द्वारा किए गए अन्वेषण का परिशीलन करने के पश्चात् आई थी । उसने पूर्वोक्त अस्पतालों के किसी

डाक्टर का कथन अभिलिखित नहीं किया था और उसने उनसे परिप्रश्न नहीं किए थे ।

13. अब अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की अवेक्षा करना आवश्यक है । प्रति. सा. 1 डा. के. के. अग्रवाल, सेवानिवृत्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बीएचईएल, शिवालिक नगर है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 1 दिसम्बर, 2010 को मृतका सूखी खांसी की शिकायत के साथ उसके पास गई थी । उसने रक्त की जांच कराने का परामर्श दिया था । वह इओसइनोफिलिया से ग्रसित थी । प्रदर्श ख-1 प्रति. सा. 1 द्वारा लिखे गए चिकित्सीय नुसखे की मूल पर्ची है । उसका तारीख 1 दिसम्बर, 2010 से 19 दिसम्बर, 2012 तक उपचार किया गया था । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि इओसइनोफिलिया मौसम में परिवर्तन के कारण कारित हो सकता है । इओसइनोफिलिया में वृद्धि से खांसी, छींक और सांस लेने में कठिनाई कारित हो सकती है । कई सारे व्यक्ति उच्च इओसइनोफिलिया के रोग से ग्रसित हैं ।

14. प्रति. सा. 2 लीलावती अस्पताल, शिवालिक नगर में कार्यरत एक स्त्रीरोग विशेषज्ञ है । उसने एम.बी.बी.एस. और बी.जी.ओ. डिग्री उत्तीर्ण की है । तारीख 11 मई, 2010 को प्रियंका (मृतका), आयु 24 वर्ष, उपचार के लिए उसके पास गई थी । उसने अपने उदर में पीड़ा और सफेद तरल पदार्थ का स्राव होने की शिकायत की थी । वह तपेदिक (टीबी) की पुरानी रोगी थी, यह बात उसके द्वारा बताई गई थी । उसने तारीख 11 मई, 2010 से 14 मई, 2010 तक उससे उपचार कराया था । रोगी का वजन 39 कि.ग्रा. था और उसका वजन सामान्य सीमा से कम था । उसने मूल नुसखा पर्ची को प्रदर्श ख-2 के रूप में साबित किया ।

15. इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में निम्लनिखित कथन किया :-

उसने उदर में पीड़ा और सफेद तरल पदार्थ का स्राव होने की शिकायत की । उसने रोगी को तारीख 15 मई, 2010 को 12.00 बजे दोपहर में आने के लिए कहा । उसके पश्चात् रोगी उसके पास नहीं गई

थी । उसने यह कहा कि यह सही है जिस बीमारी का उसके द्वारा उपचार किया गया था, वह उपचार से चार से पांच दिनों की भीतर ठीक हो जाती है । इसके पश्चात् इस साक्षी ने यह कहा कि संभव है कि रोगी ठीक हो गई होगी और इसीलिए वह 15 मई, 2010 को नहीं आई थी । उसने आगे स्वेच्छा से यह कहा कि उसने रोगी को 15 मई, 2010 को बुलाया था किंतु वह नहीं आई थी । वह नहीं जानती कि वह क्यों नहीं आई थी । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि यह सही है कि उसके पूछने पर रोगी द्वारा यह बताया गया था कि वह टीबी रोग से ग्रसित थी और नौ माह तक उपचार लिया था । वह टीबी का उपचार नहीं करती है । जो उपचार उसने किया था, उसका टीबी से कोई संबंध नहीं है । यह सही है कि छह या नौ माह का उपचार लेने के पश्चात् टीबी को ठीक किया जा सकता है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि यह कहना गलत है कि रोगी, जो कई दिनों से उदर में पीड़ा से ग्रसित हो और बहुत कम खाता है, जो इसलिए उसका वजन घट सकता है । भर्ती होने के पश्चात् रोगी ने उदर में पीड़ा की शिकायत की थी ।

16. प्रति. सा. 3 एक महाविद्यालय में शिक्षा संकाय विभाग का प्रमुख है । उसने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह अभिसाक्ष्य दिया कि मृतका ने वर्ष 2008-09 में महाविद्यालय में दाखिला लिया था और वर्ष 2009-10 के लिए पाठ्यक्रम पूर्ण किया था । मृतका की हाजिरी 75 प्रतिशत से अधिक थीं । इस प्रकार, वह अगस्त, 2010 में परीक्षा में बैठी थी । वह तारीख 15, नवम्बर, 2010 को प्रैक्टिकल के लिए भी उपस्थित हुई थी ।

17. प्रतिपरीक्षा में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रकट किया गया कि दिसम्बर, 2009 के पश्चात् उसकी उपस्थिति में भारी गिरावट आई थी और यह कि दिसम्बर से पूर्व यह उपस्थिति 99 प्रतिशत से अधिक थी ।

18. प्रति. सा. 4 वर्ष 1987 से मेरठ रोड, मवाना, जिला मेरठ में एक नर्सिंग एंड मैटरनिटि होम में चिकित्सा व्यवसायी है । उसने एम.बी.बी.एस. और बी.जी.ओ. उत्तीर्ण किया है । तारीख 2 जून, 2007 को मृतका उसके पास आई थी और उसके उपचाराधीन रही थी । उसने

उसे अपनी टीबी की बीमारी के बारे में बताया था । उसके पश्चात् रोगी तारीख 2 दिसम्बर, 2009 को उसके पास गई थी । उस दिन उसने बताया कि उसका तारीख 10 दिसम्बर, 2009 को विवाह होने वाला है, इसलिए, वह अपने रजोधर्म की तारीख को आगे बढ़ाना चाहती है, जिसके लिए उसने उसे दवाइयां दी थीं । उसके पश्चात्, मृतका 31 अगस्त, 2010 को उसके पास गई थी । रोगी ने कॉकस (उदर की टीबी) का पूर्ववृत्त बताया था । तीनों तारीखों की मूल नुसखा पर्ची क्रमश: ख-5, 6 और 7 के रूप में चिन्हित हैं । तारीख 2 जून, 2007 को उसने रोगी को उसकी नुसखा पर्ची पर रक्त जांच और छाती का एक्स-रे कराने का परामर्श दिया था । उसने रक्त की कमी (एनेमिया) के लिए दवाइयां बताई थी क्योंकि रोगी ने पूर्व में टीबी होने की बात बताई थी । इसलिए उसने रक्त जांच और एक्स-रे कराने का परामर्श यह पुष्टि करने के लिए दिया था कि टीबी पूरी तरह से ठीक हुई है या नहीं । किंतु रोगी कोई एक्स-रे या रक्त जांच की रिपोर्ट नहीं लाई थी ।

19. उसने प्रतिपरीक्षा में यह कहा कि वह एक स्त्री रोग विशेषज्ञ है । तारीख 2 जून, 2007 को मृतका अस्पताल आई और उसे कमजोरी की बीमारी थी । उसने अपने चिकित्सीय इतिवृत्त में पिछले दस वर्षों से टीबी होने के बारे में बताया था । इस साक्षी ने यह कथन किया कि यह सही है कि दस वर्षों के पश्चात् और उसके पास आने तक मृतका ने कभी भी ऐसी बीमारी के लक्षणों के बारे में नहीं बताया था । यदि रोगी तीन वर्षों तक पूर्ण उपचार लेता है तो उक्त रोग की कोई संभाव्यता नहीं रहती है । उसने यह कहा कि ढ़ाई वर्षों के दौरान तारीख 2 जून, 2007 और 2 दिसम्बर, 2009 के बीच मृतका ने कभी भी टीबी के बारे में शिकायत नहीं की थी । तारीख 31 अगस्त, 2010 को प्रति. सा. 4 ने टीबी के लक्षणों के लिए जांच नहीं की थी और न ही इस बारे में कोई शिकायत थी । टीबी छाती, उदर या किसी अन्य अंग में हो सकती है । यह भी कथन किया कि प्रियंका (मृतका) तीन वर्षों से तारीख 2 जून 2007 से 31 अगस्त, 2010 तक नियमित रूप से उपचार के लिए प्रति. सा. 4 के पास आ रही थी । इस साक्षी ने अंत में अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया कि तीन वर्षों की अवधि के दौरान मृतका ने कभी भी

टीबी के बारे में शिकायत नहीं की थी और न ही इस साक्षी ने जांच में कोई लक्षण पाया था ।

20. उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण से निम्नलिखित प्रकट होता है :–

प्रति. सा. 1 ने मृतका का तारीख 1 दिसम्बर, 2010 से 19 दिसम्बर, 2010 तक उपचार किया था । मृतका उच्च इओसिनोफिलिया से ग्रसित थी । उसने सूखी खांसी की शिकायत की थी । प्रति. सा. 2, स्त्री रोग विशेषज्ञ ने तारीख 11 मई, 2010 से 14 मई, 2010 तक मृतका का उपचार किया था । मृतका ने उदर में पीड़ा और सफेद तरल पदार्थ के स्राव की शिकायत की थी । मृतका ने डाक्टर को यह बताया था कि वह टीबी की एक पुरानी रोगी है । सुस्पष्ट रूप से, मृतका का वजन केवल 39 किलोग्राम पाया गया था जो कि सामान्य सीमा से कम होना पाया गया था । पुन:, प्रति. सा. 4, एक अन्य स्त्री रोग विशेषज्ञ ने भी तारीख 31 अगस्त, 2010 को मृतका का उपचार किया था । इस डाक्टर ने स्पष्ट रूप से रोगी द्वारा उदर में टीबी होने के इतिवृत्त के बारे में बताने के बारे में अभिसाक्ष्य दिया । प्रति. सा. 1 और प्रति. सा. 2 हरिद्वार से हैं जहां अपीलार्थी रहते हैं, जबकि यह ध्यान देने योग्य बात है कि प्रति. सा. 4 मवाना, मेरठ में व्यवसायरत थी जहां मृतका का अपना पैतृक घर था । प्रति. सा. 4 के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि मृतका तारीख 2 जून, 2007 से 31 अगस्त, 2010 तक तीन वर्षों के लिए प्रति. सा. 4 के पास उपचाराधीन थी । तारीख 2 जून, 2007 को डाक्टर ने उसे रक्त जांच और छाती का एक्स-रे कराने का परामर्श यह पुष्टि करने के लिए दिया था कि क्या वह ठीक हो गई है या नहीं, प्रति. सा. 4 ने यह स्पष्ट कथन किया है कि वह कोई एक्स-रे या रक्त जांच की रिपोर्ट नहीं लाई थी । प्रति. सा. 1 द्वारा उपचार करने के एक माह से थोड़े अधिक और प्रति. सा. 4 द्वारा उपचार करने के कुछ माह के भीतर ही जनवरी, 2011 में तारीख 23 जनवरी, 2014 को मृतका की मृत्यु हो गई थी ।

21. हम यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि वान नॉस्ट्रांड के

साइंटिफिक इनसाइक्लोपिडिया (तृतीय संस्करण) में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उल्लेख किया गया है :–

> **तपेदिक** : तपेदिक के जीवाणु द्वारा शरीर पर हमला करके कारित एक चिरकालिक या तीव्र संक्रामक रोग है । यह लक्षणों के बिना (निष्क्रिय तपेदिक) या लक्षणों सहित (सक्रिय तपेदिक) हो सकता है । तपेदिक के लक्षण अंतर्वलित अंग, गुलिका दण्डाणु के खिंचाव की विषाक्तता और संक्रमित व्यक्ति की प्रतिरोध शक्ति पर निर्भर करते हैं । शरीर के लगभग किसी भी अंग या उत्तक पर तपेदिक की प्रक्रिया द्वारा हमला किया जा सकता है, यद्यपि सर्वाधिक सामान्य स्थल फेफड़े हैं ।

हमने पाया कि फुफ्फुसीय तपेदिक से संबंधित चर्चा में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उल्लेख किया गया है :–

> कुछ व्यक्ति संक्रमण को झेलने में असमर्थ रहते हैं और रोग की शुरुआत में ही अच्छे उपचार के बावजूद उनमें गंभीर लक्षण विकसित हो जाते हैं और फैल जाते हैं जो प्राय: तपेदिक का घातक रूप ले लेते हैं । अन्य व्यक्ति क्षति को थोड़े भाग तक सीमित रखने में समर्थ हो जाते हैं और एक वर्ष के उपचार के अनुक्रम में पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं ।
>
> फुफ्फुसीय तपेदिक की जटिलताएं निकट और दूर के अंगों तक रोग फैलने से जुड़ी हैं । कुछ दृष्टांतों में, फुफ्फुसीय रोग बिल्कुल छुटपुट हो सकता है और इसका पहली बार प्रकटीकरण तब हो सकता है जब मुत्रीय क्षेत्र या उदरीय क्षेत्र में तपेदिक के लक्षण कारित होने आरंभ हो जाते हैं ।
>
> उदरीय तपेदिक के विभिन्न रूपों का उपचार एक्स-रे और पैरा-बैंगीनी प्रकाश के साथ-साथ प्रायिक साधारण उपायों द्वारा किया जाता है ।
>
> तपेदिक में पूर्वानुमान बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है । रोग का प्रकार, अवधि और विस्तार, कब उपचार शुरु किया जाता है, गुलिका दण्डाणु (टयूबरक्ल बेसिलस) के प्रति रोगी का प्रतिरोध

अत्यधिक महत्व रखते हैं । शुरुआत में ही उपचार लेने से ठीक होने की प्रतिशतता बहुत अधिक बढ़ जाती है । प्रायिक तौर पर न्यूनतम दो वर्षों तक लगातार उपचार लेने के महत्व को वास्तविकता से अधिक नहीं समझा जा सकता है । चूंकि स्पष्टत: रोगमुक्त होने के पश्चात् भी इसका पुनरावर्तन होना अपेक्षाकृत सामान्य बात है, कार्यकलापों पर नियंत्रण और वर्षों तक नियमित जांच परीक्षण कराना आवश्यक हैं ।

हाल ही के संस्करण में, इसी कृति के 10वें संस्करण में हम निम्नलिखित पाते हैं :-

यदि रोग को अनुपचारित छोड़ दिया जाता है, तो अत्यधिक गंभीर जटिलाताएं हो सकती हैं । कभी-कभी रोगियों को उपचार के आरंभिक प्रक्रमों के दौरान अस्पताल में भर्ती किया जाता है । लगभग दो सप्ताह तक औषधियां लेने से अन्य अंगों को संक्रमित करने की रोगी की समर्थता स्पष्ट रूप से कम हो जाती है । गैर-फुफ्फुसीय तपेदिक वाले व्यक्ति उन व्यक्तियों की बनिस्बत बहुत कम संक्रमित होते हैं जो फुफ्फुसीय रूप से संक्रमित होते हैं और इस प्रकार ऐसे व्यक्तियों को कभी-कभी संपूर्ण रूप से बाह्य-रोगी के रूप में देखरेख की जा सकती है ।

वर्ष 1980 के मध्य में आरंभ हुइ टीबी के विस्तार में वृद्धि के साधारणतया दो कारण समझे जा सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक का अनुमान योग्य प्रभाव रहा -

1. एम. ट्यूबरकुलोसिस द्वारा ली गई औषधियों के प्रति दिखाया गया वर्धित प्रतिरोध । नवीनतम अनुसंधान इस कारण की सत्यता को स्पष्ट कर रहे हैं ।

2. * * * *

सेशन न्यायाधीश द्वारा निकाले गए निष्कर्ष

22. अभि. सा. 1 द्वारा दुर्भाग्यशाली दिन टेलीफोन से जो कॉल की गई थी उसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट नहीं माना जा सकता है और कॉल पुलिस को दी गई मात्र एक जानकारी थी और मामले में चिन्हित प्रथम

इत्तिला रिपोर्ट वह है जो उसने अपनी पुत्री के शव को देखने के पश्चात् दी थी । मृतका का विवाह तारीख 10 दिसम्बर, 2009 को प्रथम अपीलार्थी के साथ हुआ था । उसकी मृत्यु तारीख 23 जनवरी, 2011 को हुई थी । मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई थी । अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असमर्थ रहा कि मृतका की मृत्यु विष के कारण हुई थी । मृतका के मकान की तलाशी से कोई विषैला पदार्थ नहीं पाया था । यह भी पाया गया कि पोंछा (वाइपर), जिससे मृतका की उल्टी को साफ किया गया था (आरोप पत्र में निर्दिष्ट जिसके बारे में हमारे द्वारा इस निर्णय के पैरा 4 में उल्लेख किया गया है), यह साबित नहीं हुआ था कि यह विष ही था । विसरा में भी कोई विष नहीं था । यद्यपि विसरा भेजने में एक लंबा अंतराल था, तो भी अपीलार्थियों को इसके लिए लांछित नहीं किया जा सकता है । यद्यपि, मृतका की मृत्यु 28 वर्ष की आयु में युवा अवस्था में हो गई थी, तो भी उसे विवाह से पूर्व तपेदिक होने का इतिवृत्त है । उन्होंने डाक्टरों के साक्ष्य को निर्दिष्ट करने के साथ-साथ, जिसे हमने पहले निर्दिष्ट किया है, प्रथम अपीलार्थी द्वारा दी गई इस जानकारी को भी निर्दिष्ट किया कि वह मृतका को अस्पताल लेकर गया था । अंतिम बार उपचार करने वाले डाक्टर के कथनों को अभिलिखित करना अन्वेषक अधिकारी का कर्तव्य था । यह नहीं कहा जा सकता है कि मृतका की मृत्यु विष के कारण हुई थी । मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट और मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार मृतका के शरीर पर कोई क्षति नहीं पाई गई थी । स्वयं अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए मौखिक साक्ष्य से दहेज के संबंध में शारीरिक क्रूरता करने की बात का खंडन होता है ।

23. अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने दस लाख रुपए की मांग करने के बारे में अभिसाक्ष्य दिया था । सेशन न्यायाधीश ने भी यह पाया था कि इस तथ्य के अतिरिक्त कि उक्त तथ्य स्पष्ट रूप से साबित नहीं होता है और अभियुक्त (प्रथम अपीलार्थी) द्वारा विवाह के पश्चात् ऐसी कोई रकम मांगने के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं और जब उसने यह आश्वासन दिया था कि इस रकम को लौटा देगा, तब यह दहेज की मांग नहीं हो सकती है । न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया

कि सभी साक्षियों ने यह माना कि विवाह के पूर्व और विवाह के समय पर अपीलार्थियों द्वारा दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी । यहां तक कि जब मृतका विवाह के ठीक पश्चात् घर आई थी, तब दहेज के लिए कोई मांग नहीं की गई थी । न्यायालय ने अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के साक्ष्य में निम्नलिखित विरोधाभासों का उल्लेख किया । अभि. सा. 1 ने यह अभिसाक्ष्य दिया था कि घटना से एक माह पूर्व प्रथम अपीलार्थी और मृतका भावना के घर आए थे । वहां प्रथम अपीलार्थी ने दस लाख रुपए मांगे थे । अभि. सा. 1 ने अपनी असमर्थता व्यक्त की । किंतु उसने अपनी पत्नी के जेवरात गिरवी रखे और एक लाख रुपए दिए । दूसरी ओर, उसके पुत्र अभि. सा. 2 ने यह कहा कि घटना की तारीख से चार माह पहले प्रथम अपीलार्थी और मृतका मवाना में उनके घर आए थे और उन्होंने दस लाख रुपए मांगे थे । उसने अपनी पत्नी के जेवरात गिरवी रखे और एक लाख रुपए दिए । अभि. सा. 3 ने इस कहानी को और आगे बढ़ाया और यह अभिसाक्ष्य दिया कि अभि. सा. 1 ने अपनी पुत्रवधु के जेवरात गिरवी रखे थे और प्रथम अपीलार्थी को एक लाख रुपए दिए थे । न तो अभि. सा. 1 और न ही अभि. सा. 2 का यह वृत्तांत है । विरोधाभासों के आधार पर उन्होंने यह पाया कि न तो प्रथम अपीलार्थी द्वारा दस लाख रुपए की मांग की गई थी और न ही एक लाख रुपए दिए गए थे । यह पाया गया था कि मृतका अपनी बी. एड. कर रही थी । प्रति. सा. 3, जो महाविद्यालय का पदधारी है, ने मृतका द्वारा महाविद्यालय में हाजिर होने और उन हाजिरी के बारे में भी अभिसाक्ष्य दिया जिनको हमने पहले निर्दिष्ट किया है । यह स्वीकार किया गया है कि मृतका जब बी. एड. कर रही थी तब वह अपने माता-पिता के साथ रह रही थी क्योंकि महाविद्यलाय निकट था । वह अपने घर बहुत बार आई थी । दहेज के लिए तंग करने की बाबत पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं की गई है । जैसा कि मृतका द्वारा सल्फास (विष) खा लेने के संबंध में बताया गया था, यह गंभीर मामला था और उसमें रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए थी और स्वीकृत रूप से ऐसा कोई मामला नहीं है । मांग करने की तारीख के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । कार अभि. सा. 1 के नाम में पंजीकृत पाई गई थी । कार, जिसे अभिरक्षा में ले लिया गया था, उसे निर्मुक्त करने के लिए आवेदन अभि. सा. 1

द्वारा किया गया था । इस बात से अभियोजन पक्ष द्वारा गठित दान का पक्षकथन मिथ्या हो जाता है । किन्हीं प्रयोजनों के लिए सहायता लेना दहेज (यह 10 लाख रुपए की मांग के विषय में है) के अंतर्गत नहीं आएगा । यह दर्शित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है कि मृतका तपेदिक की रोगी थी और इओसिनोफिलिया और उदर के दर्द से भी ग्रसित थी । यह उसकी मृत्यु का कारण हो सकता है । यह पाया गया कि यह दहेज का मामला नहीं है । दहेज प्रतिषेध अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन कोई आरोप नहीं है तथा धारा 304-ख के अधीन एकमात्र आरोप साबित नहीं होने के कारण अपीलार्थियों को दोषमुक्त किया जाता है ।

आक्षेपित निर्णय में उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष

24. यद्यपि विवाह के अनुष्ठापन पर दहेज की कोई चर्चा नहीं है, तथापि, दो-तीन माह के पश्चात् अभियुक्त और उसके परिवार के सदस्यों (अपीलार्थियों) ने दहेज मांगना शुरु कर दिया । उसके पश्चात्, अभि. सा. 8 का उल्लेख किया गया है, जिसने यह अभिसाक्ष्य दिया था कि पंचों की यह राय थी कि यह विष खा लेने का मामला है । उच्च न्यायालय ने यह पाया कि प्रति. सा. 1 के साक्ष्य ये यह प्रकट नहीं होता है कि मृतका तपेदिक से ग्रसित थी और उसे इओसिनोफिलिया था । प्रति. सा. 2 - डा. ममता त्यागी के साक्ष्य के प्रति निर्देश करते हुए उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि केवल पेट में दर्द और सफेद तरल पदार्थ के स्राव की शिकायत कर रही थी । रोगी ने कभी भी डाक्टर को उसे तपेदिक होने के बारे में नहीं बताया था । डाक्टर ने यह स्वीकार किया था कि तपेदिक को छह से सात माह के उपचार के पश्चात् ठीक किया जा सकता है । इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रति. सा. 1 और प्रति. सा. 2 के साक्ष्य में यह बात आई है कि मृतका तपेदिक से ग्रसित नहीं थी । उसके पश्चात् उच्च न्यायालय ने प्रति. सा. 4 के साक्ष्य का अनुशीलन किया और यह पाया कि डाक्टर ने यह स्वीकार किया था कि जब एक बार दस वर्ष पहले तपेदिक के लिए उपचार ले लिया गया था, तो रोग की पुनरावृत्ति होने का प्रश्न ही नहीं था । मृतका इस डाक्टर के पास तारीख 2 दिसम्बर, 2009 को

अपने रजोधर्म के चक्र को आगे बढ़ाने के लिए गई थी और विवाह 9 दिसम्बर, 2009 को हुआ था । मृतका ने तारीख 2 दिसम्बर, 2009 के पश्चात् कभी भी तपेदिक के लक्षण के बारे में नहीं बताया था । उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला :–

> "इस प्रकार, प्रति. सा. 1 डा. के. के. अग्रवाल, प्रति. सा. 2 डा. ममता त्यागी और प्रति. सा. 4 डा. नीरा चन्द्रा के कथनों से यह स्पष्ट है कि प्रियंका तपेदिक से ग्रसित नहीं थी । उनके द्वारा कभी भी उसका तपेदिक के लिए उपचार नहीं किया गया था । प्रति. सा. 1 डा. के. के. अग्रवाल ने मृतका का उपचार सामान्य रुग्णता के लिए किया था । प्रति. सा. 2 डा. ममता त्यागी ने यह स्वीकार किया कि प्रियंका को दिए गए उपचार का तपेदिक से कोई लेना-देना नहीं था ।"

25. मृतका को कभी भी किसी अस्पताल नहीं ले जाया गया था । अन्वेषक अधिकारी के अनुसार, मृतका को विभिन्न अस्पतालों में लाया गया था यद्यपि इसका कोई अभिलेख नहीं है । यह भी उल्लेख किया गया कि जब अभियुक्तों से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन यह विनिर्दिष्ट प्रश्न पूछा गया था कि उनके घर के सामने खड़ी कार में मृतका का शव कैसे बरामद हआ था, तो उन्होंने इसकी जानकारी होने की बात से पूर्णत: इनकार किया । इसके पश्चात्, हम पैरा 34 का उल्लेख कर सकते हैं :–

> "अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य है कि अभियुक्त मृतका से दहेज की मांग कर रहे थे । मृतका के माता-पिता दहेज की अवैध मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं थे । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह उल्लिखित है कि यह विष खाने का मामला था । अभि. सा. 3 सोहन सिंह ने यह पाया था कि शव नीला पड़ गया था । अभि. सा. 5 डा. अशोक कुमार ने यह स्वीकार किया था कि शव को खोलने पर, आंतरिक अंग संकुलित थे जो विष खाने के कारण हो सकता था । विसरा में प्रदर्श 55-क/4 द्वारा विष नहीं पाया गया था, केवल इस तथ्य से यह नहीं कहा जा सकता है कि मृतका ने विष नहीं खाया था ।"

26. इसके पश्चात् उच्च न्यायालय ने **अनंत चिंतामण लागू** बनाम **बम्बई राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय को निर्दिष्ट किया । इस न्यायालय ने उस मामले में यह अभिनिर्धारित किया था कि विष के किसी मामले में तीन अवयवों को अवश्य सिद्ध किया जाना चाहिए :–

1. मृत्यु विष देने से हुई हो ।

2. अभियुक्त के अपने कब्जे में विष था ।

3. अभियुक्त के पास मृतका को विष खिलाने का अवसर था ।

इसके पश्चात्, निर्णयज विधि के प्रति निर्देश है । न्यायालय ने इसके पश्चात् निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला –

"(42) प्रस्तुत मामले में, अभियोजन पक्ष ने मामले को पूर्णत: पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर साबित किया है । अभि. सा. 1 हरेन्द्र सिंह द्वारा अपनी पुत्री से प्राप्त टेलीफोन कॉल की तारीख से लेकर तारीख 23 जनवरी, 2011 को सेंटरो कार में शव की बरामदगी तक की श्रृंखला पूर्ण है । अभियुक्तों द्वारा किया गया अभिवाक् मिथ्या है और यह इस पारिस्थितिक साक्ष्य को जिस पर प्रस्तुत मामला टिका है, साबित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है ।

* * * * *

(44) प्रस्तुत मामले में, मृतका अपनी मृत्यु के समय अभियुक्तों के घर में थी । उन परिस्थितियों का समाधानप्रद स्पष्टीकरण अभियुक्तों को देना था जिनमें तारीख 23 जनवरी, 2011 को पीड़िता की मृत्यु हुई थी । अभि. सा. 3 सोहन सिंह ने भी यह अभिसाक्ष्य दिया था कि अभियुक्त घटनास्थल से भाग गए थे । यह मामला विष देकर मानववध करने का था । अभियुक्तों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 106 के अधीन उन परिस्थितियों

---

[1] ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 500.

को स्पष्ट करना चाहिए था जिन परिस्थितियों में प्रियंका की मृत्यु हुई थी और उसका शव उनके घर के सामने खड़ी कार की पिछली सीट से बरामद हुआ था । अभिलेख पर यह भी आया है कि प्रियंका-मृतका का पति और परिवार के अन्य सदस्य एक ही मकान में रह रहे थे ।"

27. चिकित्सीय राय के विषय में, यह पाया गया था कि डाक्टर की राय सत्यभाषी साक्षियों के अभिसाक्ष्य के महत्व को प्रभावित नहीं कर सकती है । यह पाया गया है कि अपीलार्थी साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ख के अधीन उपधारणा का खंडन करने में असफल रहे हैं ।

28. इसके पश्चात्, न्यायालय ने यह पाया कि अभियोजन पक्ष ने सम्यक् रूप से यह साबित किया है कि मृतका की हत्या दहेज के लिए क्रूरता और तंग करके कारित की गई थी और इससे मृत्यु के ठीक पूर्व दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता और तंग करने के संघटक साबित होते हैं । उसके पश्चात्, हम यह उल्लेख कर सकते हैं :–

"(60) अभि. सा. 1 हरेन्द्र सिंह, अभि. सा. 2 संदीप, अभि. सा. 3 सोहन सिंह और अभि. सा. 8 पूर्ण सिंह के अनुसार प्रियंका का शव सेंटरों कार की पिछली सीट से बरामद किया गया था । अभियुक्तों ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया था कि प्रियंका का शव कार में क्यों पड़ा हुआ था । अभियुक्तों ने यहां तक कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए कथन में भी उन परिस्थितियों को स्पष्ट नहीं किया था कि शव कार में क्यों पड़ा हुआ था ।

(61) विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने इस अति महत्वपूर्ण तथ्य की अनदेखी की थी कि प्रियंका का शव कार की पिछली सीट से बरामद किया गया था और अभियुक्तों द्वारा किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

अंततः, हमने यह पाया :–

(64) प्रस्तुत मामले में, प्रति. सा. 1 डा. के. के. अग्रवाल,

प्रति. सा. 2 ममता त्यागी और प्रति. सा. 4 डा. नीरा चंद्रा के कथन विश्वासोत्पादक नहीं हैं । उन्होंने अभियुक्तों को बचाने के लिए मिथ्या प्रमाणपत्र जारी किए थे । प्रियंका-मृतका कभी भी तपेदिक से ग्रसित नहीं थी । प्राइवेट चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा मिथ्या प्रमाणपत्र जारी करने की इस प्रवृत्ति को रोका जाना आवश्यक है ।

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

29. इस आधार पर अपीलार्थी धारा 498-क के साथ पठित धारा 304-ख और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के अधीन दोषी पाए गए । उसके पश्चात्, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 362 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए और यह अवेक्षा करते हुए कि गलती हुई है क्योंकि अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के अधीन गलत रूप से दोषसिद्ध किया गया है । तद्धीन की गई दोषसिद्धि को हटा देने का आदेश किया गया । उसके पश्चात्, अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के अधीन आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया ।

30. हमने अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री सिद्धार्थ दवे, प्रथम प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री कृष्णम् मिश्रा और अभि. सा. 1 (मृतका का पिता) तथा उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री संजय कुमार दूबे को सुना ।

31. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह दलील दी कि जब विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति की गई है तो अपील न्यायालय द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण के संबंध में सुस्थिर सिद्धांतों की अनदेखी करके उच्च न्यायालय के लिए विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा दिए गए दोषमुक्ति के निर्णय को उलटने के लिए कतई कोई आधार नहीं है । आरंभिक उपधारणा के अतिरिक्त, यह तात्विक बात है कि विचारण न्यायालय द्वारा की गई अभियुक्तों की दोषमुक्ति से यह उपधारणा पूर्णत: सुदृढ़ हो जाती है और निर्दोषिता की

दोहरी उपधारणा हो जाती है । विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह उल्लेख किया कि अपील न्यायालय दोषमुक्ति में केवल तब हस्तक्षेप करेगा यदि विचारण न्यायालय का निर्णय अनुचित है । उन्होंने यह दलील दी कि जब मृतका की हालत को देखा गया तो उसे वास्तव में डाक्टरों के पास ले जाया गया था । उन्होंने यह दलील दी कि धारा 304-ख के अधीन दोषसिद्ध करने के लिए अन्य अवयवों में से मूलभूत आधार स्त्री की उसके विवाह के सात वर्ष भीतर अस्वाभाविक मृत्यु हो जाना है । किंतु इस मामले में, अभियोजन पक्ष ने यह साबित नहीं किया है कि मृत्यु अस्वाभाविक थी । वह उपचार ले रही थी । सेशन न्यायाधीश के इस आशय के निष्कर्ष को कि दहेज की मांग पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है, किसी आधार के बिना अस्वीकार कर दिया गया था । वर्ष 2010 में उसकी मृत्यु से कुछ पूर्व मृतका का वजन केवल 39 कि. ग्राम था जो उसकी रुग्णता और उसके स्वास्थ्य की दशा दोनों का अचूक सूचक है । उसने प्रश्न उठाया कि विसरा में कोई विषैला पदार्थ नहीं पाया गया था, फिर किस आधार पर उच्च न्यायालय विद्वान् सेशन न्यायाधीश के निर्णय को उलटने के पश्चात् दोषिता का निर्णय दे सकता था । अपीलार्थियों के मकान में कोई विष नहीं पाया गया था, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, किसी क्षति का कोई चिह्न नहीं था । आरंभ से ही दहेज के लिए कोई मांग नहीं थी । प्रथम अपीलार्थी ने पुलिस को इत्तिला दी थी । वे भागे नहीं थे । अभि. सा. 1 के साक्ष्य के अतिरिक्त अभि. सा. 11-अन्वेषक अधिकारी के साक्ष्य का अवलंब लिया गया है । जो निष्कर्ष इस आधार पर निकाला गया है कि शव कार के पिछले भाग में पाया गया था, वह निष्कर्ष निकालने का कोई आधार नहीं था । विद्वान् काउंसेल ने **छोटन साव और एक अन्य** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया ।

32. इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह उल्लेख किया कि विवाह के कुछ माह के पश्चात् ही दहेज की मांग की गई थी और तंग किया गया था । यहां तक कि न्यायालय द्वारा धारा 313 के अधीन प्रश्न पूछने के दौरान भी प्रथम अपीलार्थी द्वारा की गई

---

[1] (2014) 4 एस. सी. सी. 54.

इनकारी से यह दर्शित होता है कि वह अपराध में सह-अपराधी था । मकान के सामने खड़ी कार के पिछले भाग से शव पाए जाने की बात पर बल दिया गया ।

33. प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से हाजिर होने वाले श्री संजय कुमार दूबे ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करने का प्रयत्न किया । उन्होंने साधारण डायरी में की गई प्रविष्टि को यह उपदर्शित करने के लिए निर्दिष्ट किया कि शिकायत में दर्शाई गई घटनाओं के बारे में मृतका द्वारा फोन पर तारीख 23 जनवरी, 2011 को फोन कॉल की गई थी । उन्होंने अपीलार्थी सं. 2 द्वारा दिए गए शपथपत्र का उल्लेख किया, जिसमें उसने यह कथन किया था कि मृतका की मृत्यु विषाक्तिकरण के कारण हुई थी । यह बात यह दर्शित करने के लिए पर्याप्त है कि मृत्यु अस्वाभाविक थी जिससे धारा 304-ख लागू होती है । अभियोजन साक्षी के अभिसाक्ष्य में आए अभिकथित विरोधाभासों को स्पष्ट किए जाने का भी प्रयत्न किया गया । अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह उल्लेख किया कि द्वितीय अपीलार्थी के जमानत के आवेदन में मृत्यु के बारे में शपथपत्र में किए गए इस कथन का अवलंब नहीं लिया जाना चाहिए कि यह एक आत्महत्या थी । यह शपथपत्र साक्ष्य का भाग नहीं है ।

विश्लेषण

34. यद्यपि, लंबे समय से, दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप की गुजांइश के संबंध में अपील न्यायालय की अधिकारिता को सीमित घोषित करने वाली विधि स्थिर है, तो भी हम केवल एक विनिश्चय को निर्दिष्ट कर सकते हैं । **घुरे लाल** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने निर्णयज विधि का सुविस्तृत पुनर्विलोकन करने के पश्चात् निम्नलिखित अधिकथित किया :-

"69. उपरोक्त मामलों से निम्नलिखित सिद्धांत प्रकट होते हैं –

---

[1] (2008) 10 एस. सी. सी. 450.

1. अपील न्यायालय दोषमुक्ति के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 और 386 के अधीन अपीलों में साक्ष्य का पुनर्विलोकन कर सकता है । साक्ष्य का पुनर्विलोकन करने की इसकी शक्ति व्यापक है और अपील न्यायालय अभिलेख पर के संपूर्ण साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है । वह तथ्यों और विधि दोनों के विषय में विचारण न्यायालय के निष्कर्ष का पुनर्विलोकन कर सकता है ।

2. अभियुक्त की दोषिता साबित हो जाने तक निर्दोष होने की उपधारणा की जाती है । अभियुक्त के बारे में यह उपधारणा तब की जाती है जब वह विचारण न्यायालय के समक्ष होता है । विचारण न्यायालय द्वारा की गई दोषमुक्ति से यह उपधारणा मजबूत हो जाती है कि वह निर्दोष है ।

3. विचारण न्यायालय के विनिश्चय को अवश्य सम्यक् या उचित महत्व दिया जाना चाहिए और विचार किया जाना चाहिए । यह बात विशेष रूप से तब सही हो जाती है जब किसी साक्षी की विश्वसनीयता को प्रश्नगत किया गया हो । उच्च न्यायालय के लिए साक्ष्य के बारे में एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाना पर्याप्त नहीं है । यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि विचारण न्यायालय गलत था, अवश्य ही सारभूत और बाध्यकारी कारण भी होने चाहिए ।

70. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय और अन्य अपील न्यायालयों को यदि वह विचारण न्यायालय द्वारा की गई दोषमुक्ति को उलटने या अन्यथा विघ्न डालने जा रहा है तो अनेक निर्णयों द्वारा निश्चित किए गए इन सुस्थिर सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए –

1. अपील न्यायालय विचारण न्यायालय द्वारा की गई दोषमुक्ति को केवल तब उलट सकेगा या अन्यथा विघ्न डाल सकेगा यदि उसके पास ऐसा करने के लिए 'अत्यंत सारवान और बाध्यकारी कारण' हैं ।

अनेक दृष्टांत उद्भूत होते हैं जिनमें अपील न्यायालय के पास विचारण न्यायालय के विनिश्चय को त्यक्त करने के लिए 'अत्यंत सारवान् और बाध्यकारी कारण होंगे ।' 'अत्यंत सारवान् और बाध्यकारी कारण' तब विद्यमान होते हैं जब –

(i) तथ्यों के विषय में विचारण न्यायालय का निष्कर्ष सुस्पष्टतया गलत है ;

(ii) विचारण न्यायालय का विनिश्चय विधि के त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण पर आधारित था ;

(iii) विचारण न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप 'न्याय की घोर हानि' होने की संभाव्यता है ;

(iv) साक्ष्य पर विचार करते हुए विचारण न्यायालय का संपूर्ण दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध था ;

(v) विचारण न्यायालय का निर्णय प्रकटत: अन्यायसंगत और अयुक्तियुक्त था ;

(vi) विचारण न्यायालय ने साक्ष्य की अनदेखी की थी या तात्विक साक्ष्य का गलत अनुशीलन किया था या मृत्युकालिक कथनों/प्राक्षेपिकी विशेषज्ञ, आदि की रिपोर्ट की अनदेखी की थी ।

(vii) इस सूची का आशय दृष्टांत-स्वरूप है न कि संपूर्ण है ।

2. अपील न्यायालय को सदैव विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को अवश्य उचित महत्व दिया जाना चाहिए और विचार किया जाना चाहिए ।

3. यदि दो युक्तियुक्त मत पर पहुंचा जा सकता है – एक जो दोषमुक्ति पर जाता है और दूसरा दोषसिद्धि पर, तो उच्च न्यायालय/अपील न्यायालयों को अवश्य अभियुक्त के पक्ष में निर्णय देना चाहिए ।"

35. यह स्मरण रखना उचित होगा कि सत्य की खोज और न्यायपालिका का न्यायनिर्णयन कृत्य एक-दूसरे से अजनबी नहीं हैं, जबकि लक्ष्य पर पहुंचने के लिए ये स्व-अधिरोपित परिसीमाएं अधिकारिता की प्रकृति पर आधारित हैं । इन सीमाओं से प्रत्येक विचलन के परिणामस्वरूप वास्तव में घोर अन्याय हो सकता है जिसे न्याय की हानि को निवारित करने के लिए ठीक करना आवश्यक है । अधिकारिता के आधिक्य के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, विशिष्ट रूप से, जब दैहिक स्वाधीनता अंतर्वलित हो, जो कि दांडिक विचारण में अपरिहार्य रूप से दांव पर लगी होती है ।

36. हमने विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को उपवर्णित किया है । आरोप धारा 304-ख के अधीन है । अपराध के संघटक भली-भांति स्थिर हैं । विवाह पत्नी की मृत्यु से पूर्व सात वर्ष के भीतर हुआ हो । मृत्यु अवश्य ही अस्वाभाविक होनी चाहिए । मृत्यु से कुछ पूर्व, मृतका पत्नी के साथ दहेज की मांग के कारण अवश्य क्रूरता की गई हो या तंग किया गया हो । इसे दहेज मृत्यु कहा जाता है । पति सहित संबंधित नातेदार दायी बनते हैं । साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ख इस उपधारणा का उपबंध करके अभियोजक के बचाव में आती है कि किसी व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की है, यदि यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था ।

37. इस मामले में, जहां तक प्रथम अपीलार्थी द्वारा दस लाख रुपए की मांग करने का संबंध है, तीन विचित्र विशेषताएं हैं । अभि. सा. 1, शिकायतकर्ता और मृतका के पिता ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि मृत्यु से लगभग एक माह पूर्व मृतका और प्रथम अपीलार्थी मवाना में उसके पास आए थे और प्रथम अपीलार्थी ने उससे दस लाख रुपए मांगे और कहा कि वे इस धनराशि को लौटा देंगे । उसने अपनी पुत्री की आंखों में आंसुओं को देखकर अपनी स्वर्गीय पत्नी के जेवरात गिरवी रखकर एक लाख रुपए उधार लिए और अपीलार्थी तथा अपनी पुत्री को दिए । तथापि, उसके पुत्र, अभि. सा. 2 ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि मृत्यु से चार माह पूर्व मृतका और प्रथम अपीलार्थी मवाना में उनके घर

आए थे और दस लाख रुपए मांगे थे । उसने यह बयान दिया कि उसने अपनी पत्नी के जेवरात गिरवी रखकर एक लाख रुपए उधार लिए । इस प्रकार, मांग करने के समय और एक लाख रुपए उधार पर लेने की रीति के विषय में अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 दोनों के बयान स्पष्ट रूप से विरोधाभासी प्रतीत होते हैं । इसमें भी अधिक महत्वपूर्ण अभि. सा. 3, जो कि अभि. सा. 1 का साला है, द्वारा प्रस्तुत और अधिक विरोधाभास है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि घटना से दो माह पूर्व वह अभि. सा. 1 के घर गया था, जिसने उसे यह सूचित किया कि मृतका के ससुराल वाले किराए के प्रयोजन के लिए मकान का निर्माण करने के लिए दस लाख रुपए की मांग कर रहे हैं । अभि. सा. 1 ने अपनी असमर्थता व्यक्त की । अभि. सा. 3 ने आगे क्या कहा उसका उल्लेख करना महत्वपूर्ण है :-

> "उसके पश्चात्, प्रियंका (मृतका) के ससुराल वालों ने उसे बुरी तरह से यातना देना आरंभ कर दिया ।"

38. अगली बात जो अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने अभिसाक्ष्य दिया है उसको पूरी तरह से झुठलाती है और अभियोजन के वृत्तांत के ताबूत में आखिरी कील है । अभि. सा. 3 का यह कथन है कि अभि. सा. 1 ने अपने पुत्र की पत्नी के जेवरातों को गिरवी रखने के पश्चात् प्रथम अपीलार्थी को एक लाख रुपए दिए थे । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने इन विरोधाभासी बयानों का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकाले हैं । उन्होंने यह भी पाया कि यदि ससुर विवाह के पश्चात् कोई धनराशि इस आधार पर लेने के लिए आया था कि वह लौटा दी जाएगी, तो इसे दहेज की कोटि में आने वाली मांग नहीं कहा जा सकता है ।

39. यह उल्लेखनीय है कि अभि. सा. 1 ने यह स्वीकार किया है कि विवाह के पूर्व या विवाह के समय दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी । विवाह तारीख 10 दिसम्बर, 2009 को हुआ था । मृत्यु तारीख 23 जनवरी, 2011 को हुई थी । यद्यपि अभि. सा. 1, अभि. सा. 3, अभि. सा. 4 और अभि. सा. 6 ने दहेज को लेकर तंग करने के बारे में कथन किया है, तो भी विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने इन्हें तात्विक रूप से विश्वसनीय नहीं पाया । यह उल्लेखनीय है कि दस लाख रुपए की मांग

करने के बारे में दिया गया वृत्तांत पूरी तरह से अस्वीकार्य पाया गया है । विचारण न्यायालय के पास साक्षियों के हाव-भाव देखने का अवसर था ।

40. अन्वेषक अधिकारियों – अभि. सा. 10 और अभि. सा. 11 ने अपीलार्थियों के पड़ोसियों से कोई पूछताछ नहीं की थी । जैसा कि प्रति. सा. 3 के साक्ष्य से दिखाई पड़ता है, मृतका बी. एड. पाठ्यक्रम कर रही थी । अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 द्वारा किसी प्राधिकारी को कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं दी गई थी । हमें अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 और अभि. सा. 6 के परिसाक्ष्य के सिवाय ऐसी कोई सामग्री दिखाई नहीं देती है जो किसी भी प्रकार से विचारण न्यायालय को विश्वासोत्पादक लगी हो । यह हमें भी किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं लगती है ।

41. मृतका की चाची, अभि. सा. 6 ने भी अभियोजन पक्ष के समर्थन में साक्ष्य दिया है । न्यायालयिक रिपोर्ट तारीख 28 मार्च, 2014 की है । इसमें यह उल्लिखित है कि प्रदर्शों में धात्विक विष, एथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, साइनाइड, फास्फाइड्स, एल्कालाइड्स, बार्बीयूरेट्स, प्रशांतक और नाशकजीवमान (पेस्टीसाइड्स) नहीं पाए गए थे ।

क्या अपीलार्थी भाग गए थे ?

42. घटना तारीख 23 जनवरी, 2011 को घटी थी । अभि. सा. 1 ने अभिसाक्ष्य दिया कि उक्त तारीख को पुलिस ने अभि. सा. 1 के समक्ष सेंटरो कार को अपनी अभिरक्षा में लिया था क्योंकि कार में मृतका का शव रखा हुआ था । आगे उसने यह कहा कि प्रथम अपीलार्थी वहां मौजूद था ।

43. आगे, इस अपीलार्थी ने द्वितीय अन्वेषक अधिकारी, अभि. सा. 11 के कथन का उल्लेख किया । उसने प्रतिपरीक्षा में पूछे गए इस प्रश्न के उत्तर में कि अस्वाभाविक मृत्यु के संबंध में किस साक्षी का मौखिक साक्ष्य उपलब्ध था, यह अभिसाक्ष्य दिया कि मृत्यु के समय सभी अभियुक्त उसके साथ थे । इसलिए अपीलार्थियों का मौखिक साक्ष्य

अभिलिखित करना संभव नहीं था ।

44. इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 9, पुलिस अधिकारी का साक्ष्य इस आशय का है कि उसने तारीख 24 जनवरी, 2011 को 6.45 बजे अपराह्न में अपीलार्थियों को उनके मकान एल-84, शिवालिक नगर से गिरफ्तार किया था ।

45. इस प्रकार अपीलार्थियों के विरुद्ध कोई निष्कर्ष निकालने के लिए कोई मामला सिद्ध नहीं होता है ।

46. अभि. सा. 1 ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि पुलिस उससे पहले ही घटनास्थल पर पहुंच गई थी । अपीलार्थियों का यह पक्षकथन है कि उन्होंने पुलिस को सूचित किया था । निस्संदेह, प्रत्यर्थी सं. 2 ने यह कहते हुए साधारण डायरी में की प्रविष्टि का अवलंब लेना चाहा कि अभि. सा. 1 ने अपने मोबाइल नम्बर से यह कॉल की थी कि उसकी पुत्री ने सूचित किया था कि उसके ससुराल वालों ने उसे विष देकर मार दिया है और वह उसके घर पहुंच रहा है और वह भी मदद मुहैया कराएगा । वास्तव में, यह एक वह दस्तावेज है जो द्वितीय प्रत्यर्थी द्वारा अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए की गई एक याचिका में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । यह इस अर्थ में चिह्नित नहीं किया गया है । किंतु जब अभि. सा. 9 की परीक्षा की गई, तो उसने रिपोर्ट सं. 28 की कार्बन प्रति को निर्दिष्ट किया । तथापि, उसने यह कहा कि वह रिपोर्ट लिखने के समय पुलिस थाने में मौजूद नहीं था । हमें अभियोजन पक्ष के वृत्तांत को अग्रसर करते हुए कोई कार्रवाई करने के लिए कोई बात दिखाई नहीं देती है ।

विष देने के बारे में विधि : तथ्यों का लागू होना

47. उच्च न्यायालय ने अक्सर, उद्धृत किए जाने वाले **अनंत चिंतामण लागू** बनाम **बम्बई राज्य** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय को निर्दिष्ट किया है । उक्त मामले में, उन तीन कसौटियों को दोहराया गया था, जिन्हें विष देने के मामले में सिद्ध करना आवश्यक है ।

1. मृत्यु विष देने के कारण हुई हो ।

2. विष अभियुक्त के पास उसके कब्जे में था ।

3. अभियुक्त के पास विष देने का अवसर था ।

48. वास्तव में, उक्त मामले में, जिसमें अपीलार्थी की दोषसिद्धि की अभिपुष्टि 2:1 के बहुमत द्वारा की गई थी, अपीलार्थी एक चिकित्सक था । वह एक रेलगाड़ी में मृतका के साथ पाया गया था और जब मृतका को अस्पताल ले जाया गया था तब भी उसका मौजूद होना पाया गया था । मृतका स्वर्गीय पति उसके पास स्वर्ण आभूषण और मूल्यवान वस्तुएं छोड़कर स्वर्ग सिधार गया था । यद्यपि विष खा लेने की बात को दर्शित करने के लिए कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं था, तो भी न्यायालय ने उन कई सारी परिस्थितियों का अवलंब लिया जिनमें अपीलार्थी का वह आचरण मुख्य था जिसका विस्तृत ब्यौरा निर्णय के पैरा 74 में अपीलार्थी द्वारा मृतका को विष देने की बात को इंगित करते हुए दिया गया है । इस संदर्भ में हम पैरा 59 और 68 में अंतर्विष्ट विधि के निम्नलिखित कथन का उल्लेख कर सकते हैं :-

> "59. इस न्यायालय के मामलों पर, जो विनिश्चित किए गए थे, अपने-अपने तथ्यों के आधार कार्यवाही की गई थी और यद्यपि तीन प्रतिपादनाएं सदैव ध्यान में रखी जानी चाहिए, तथापि, विष देकर की गई हत्या को साबित करने के लिए साक्ष्य की पर्याप्तता चाहे वह प्रत्यक्ष साक्ष्य हो या पारिस्थितिक साक्ष्य, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगी । यदि किसी विशेष मामले में अभियोजन पक्ष के समाधानप्रद रूप से या तो प्रत्यक्षत: या पारिस्थितिक साक्ष्य द्वारा यह तथ्य साबित करने में असफल रहने के कारण साक्ष्य इस निष्कर्ष को न्यायोचित नहीं ठहराता कि मृत्यु विष देने के कारण हुई है तो संदेह का फायदा अभियुक्त व्यक्ति को दिया जाना होगा । किंतु यदि तीन तत्वों के प्रत्यक्ष सबूत के अभाव में, पारिस्थितिक साक्ष्य इतना निश्चायक हो कि न्यायालय बेहिचक यह अभिनिर्धारित कर सके कि मृत्यु विष देने के परिणामस्वरूप हुई थी (यद्यपि विष का पता न लगा हो) और यह कि विष अभियुक्त व्यक्ति द्वारा ही दिया गया होगा, तो उस आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है ।

* * * * *

68. इस संदर्भ में पारिस्थितिक साक्ष्य से अभिप्रेत तथ्यों के संयोजन से सृजित होने वाला ऐसा जाल है जिसमें से अभियुक्त बचकर न निकल सकता हो क्योंकि तथ्यों पर समग्र रूप से विचार करने पर उसकी दोषिता के सिवाय कोई अन्य निष्कर्ष न निकलता हो । चिकित्सीय व्यक्ति, जिसने मरणोत्तर परीक्षा की थी और रासायनिक विश्लेषक के निष्कर्षों को मामले के निश्चायक के रूप में अवलंब लेना अन्य साक्ष्य को पूर्ण रूप से निरुपयोगी ठहराना है । जब परिस्थितियां प्राय: अचूक निश्चितता के साथ प्रमाण देती हों, तो शव-परीक्षा और रासायनिक विश्लेषण पर ही विश्वास करना अत्यधिक भ्रामक हो सकता है । निस्संदेह, ऐसे परीक्षणों से निकाले गए नकारात्मक निष्कर्षों को अवश्य सम्यक् महत्व दिया जाना चाहिए । किंतु उस दुष्कर कार्य, जो एक चिकित्सक को करना होता है और उन परिसीमाओं को जिनमें रहकर वह कार्य करता है, को ध्यान में रखते हुए उसकी असफलता को मामले की समाप्ति के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि उपयुक्त और साक्ष्यिक परिस्थितियों के आधार पर दोषिता का एक अप्रतिरोध्य निष्कर्ष निकाला जा सकता है ।"

49. आगे हम **शरद बिरधीचंद शारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में तीन विद्वान् न्यायाधीशों की एक न्यायपीठ द्वारा दिए गए इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं । हम केवल पैरा 165 का उल्लेख करते हैं । यह पैरा निम्न प्रकार से है :-

"165. जहां तक इस विषय का संबंध है, ऐसे मामलों में न्यायालय को साक्ष्य का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए और निम्नलिखित चार पूर्ण परिस्थितियां अवधारित करनी चाहिए क्योंकि ये ही किसी दोषसिद्धि को न्यायोचित ठहरा सकती हैं -

(1) अभियुक्त का मृतक को विष देने का स्पष्ट हेतु हो,

---

[1] [1985] 1 उम. नि. प. 995 = (1984) 4 एस. सी. सी. 116.

(2) मृतक तथाकथित विष देने से मरा हो,

(3) अभियुक्त के पास उसके कब्जे में विष हो,

(4) उसके पास मृतक को विष देने का अवसर हो ।"

50. इस मामले में, कतई कोई साक्ष्य नहीं है कि मृतका की मृत्यु विष देने के कारण हुई थी । दूसरी बात, यह दर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थियों के पास उनके कब्जे में विष था । इस प्रकार, यहां तक कि इस आधार पर भी अग्रसर होते हुए कि मृतका जो पत्नी और पुत्रवधु होने के कारण अपीलार्थियों के साथ रह रही थी, उनके पास उसे विष देने का अवसर था, तो भी अन्य दो कसौटियों का समाधान नहीं होता है । पुलिस ने अपीलार्थियों या उनके मकान से कोई विष बरामद नहीं किया था । जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कोई विष होने की बात से इनकार किया गया है । जहां तक अपीलार्थियों के पास कोई विष नहीं पाए जाने का संबंध है, हम निस्संदेह **भूपिन्द्र सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में दो विद्वान् न्यायाधीशों की एक न्यायपीठ द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का उल्लेख कर सकते हैं । यह निम्नलिखित है :–

"24. पूर्वगामी मामलों से यह स्पष्ट होगा कि विष देकर की गई हत्या के मामलों में, अभियुक्त को केवल इसलिए दोषमुक्त नहीं किया गया था कि अभियोजन पक्ष ऐसी किसी अपेक्षा को सिद्ध करने में असफल रहा है जो इस न्यायालय ने **धर्मबीर सिंह** [1958 की दांडिक अपील सं. 98, जिसका विनिश्चय 4.11.1958 को किया गया] वाले मामले में अधिकथित की है । हमें ऐसा कोई मामला भी नहीं मिलता जिसमें अभियुक्त को एकमात्र इस आधार पर दोषमुक्त किया गया हो कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त के पास विष था । उक्त सभी मामलों में अभियुक्तों को संपूर्ण परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् जिसमें अपर्याप्त हेतु, पारिस्थितिक साक्ष्य की श्रृंखला में

---

[1] (1988) 3 एस. सी. सी. 513.

कमी और मृतक की आत्महत्या करने की संभाव्यता सम्मिलित थी, दोषमुक्त किया गया था ।

25. हम यह नहीं समझते कि अभियोजन पक्ष के यह साबित करने में असफल रहने पर कि अभियुक्त के पास विष था, दोषमुक्ति की जानी चाहिए । विष देकर हत्या सदैव गोपनीयता की आड़ में की जाती है । कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति को विष नहीं देगा । जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गोपनीय रूप से विष देता है वह उसका कुछ अंश अन्वेषण अधिकारी के वहां आने और उसे प्राप्त करने के लिए नहीं रखेगा । जो व्यक्ति इस प्रकार हत्या करता है वह स्वाभाविक रूप से इस बात की सावधानी बरतेगा कि वह अपने विरुद्ध साक्ष्य हटा दे या नष्ट कर दे । ऐसे मामलों में अभियोजन पक्ष के लिए अभियुक्त के पास विष होना साबित करना असंभव होगा तथापि, अभियोजन पक्ष अन्य परिस्थितियों को सिद्ध कर सकता है जो केवल अभियुक्त के दोषी होने की परिकल्पना से संगत हों । तब न्यायालय अभियुक्त को इस आधार पर दोषमुक्त करने में न्यायोचित नहीं होगा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त के पास विष था ।

26. विष देकर की गई हत्या के मामले पारिस्थितिक साक्ष्य के नियम के बाहर नहीं रखे जाने चाहिए । ऐसे बहुत से स्पष्ट तथ्य और परिस्थितियां हो सकती है जिनसे न्यायालय यह अनुज्ञेय निष्कर्ष निकालने में न्यायोचित हो सकेगा कि अभियुक्त के पास प्रश्नगत विष था । अभियुक्त के विरुद्ध साबित किए गए ऐसे बहुत से तथ्य और परिस्थितियां हो सकती हैं जिनसे अभियुक्त के पास विष होने के तथ्य से संबंधित मौन धारणा की जा सके । प्राय: प्रत्येक मामले में अभियुक्त के पास विष होने के सबूत पर जोर देना न तो वांछनीय है और न ही व्यवहार्य होता है । इसका अभिप्राय विष देकर की गई हत्या के अपराध में एक असंगत अवयव जोड़ना होगा । अत: हम अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलील को स्वीकार नहीं कर सकते । विष देकर की

गई हत्या के मामले में अभियुक्त की अन्य प्रकार की हत्याओं के अभियुक्तों के मुकाबले दंड से बच निकलने की बेहतर संभावना नहीं हो सकती । विष देकर की गई हत्या भी अन्य किसी प्रकार की हत्या के समान है । ऐसे मामलों में जहां पूर्णत: पारिस्थितिक साक्ष्य पर निर्भर किया गया हो और प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध न हो, वहां न्यायालय परिस्थितियों के आधार पर विधिसम्मत रूप से किसी भी विषय पर कोई निष्कर्ष निकाल सकता है ।"

51. हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि **जयपाल** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के दो विद्वान् न्यायाधीशों की एक अन्य न्यायपीठ ने यथा उपरोक्त **भूपिन्द्र सिंह** बनाम **पंजाब राज्य** (उपर्युक्त) वाले मामले को निर्दिष्ट करते हुए और उन चार परिस्थितियों को उपवर्णित करने के पश्चात् जो इस न्यायालय द्वारा **शरद बिरधीचंद शारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** (उपर्युक्त) वाले मामले में अधिकथित की गई थी, इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :–

"28. हम यह कह सकते हैं कि विष दिए जाने के द्वारा हत्या का मामला सिद्ध करने के लिए उपर्युक्त तृतीय तथ्य की आवश्यकता की बाबत कुछ पश्चात्वर्ती विनिश्चयों में संदेह किया गया है । अर्थात् भूपिन्दर सिंह **बनाम** पंजाब राज्य [(1988) 3 एस. सी. सी. 513 = 1988 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 694 = ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 1011] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियुक्त के विरुद्ध साबित ऐसे अनेक तथ्य और परिस्थितियां हो सकती हैं जिनके आधार पर अभियुक्त के पास विष होने के तथ्य की बाबत निर्विवादित रूप से उपधारणा की जा सकती है, अत: अभियुक्त के पास विष पाए जाने के सबूत पर बल देना न तो वांछनीय है और न ही साध्य । अनंत चिंतामण लागू **बनाम** बम्बई राज्य [ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 500 = 1960 क्रिमिनल ला जर्नल 682] वाला मामला अपने तथ्यों के कारण विलक्षण है जिसमें इस न्यायालय ने 2:1 के बहुमत से यह

---

[1] (2003) 1 एस. सी. सी. 169.

अभिनिर्धारित किया कि मृत्यु के वास्तविक कारण से संबंधित निश्चित निष्कर्ष के अभाव में भी और इस निष्कर्ष के आधार पर कि घटना के शिकार व्यक्ति की मृत्यु किसी पहचान न किए जाने वाले विष अथवा ऐसी औषधि दिए जाने के परिणामस्वरूप हुई थी जो विष का कार्य करती है, दोषिता से संबंधित निष्कर्ष पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर निकाला जा सकता है । यह बड़ी चालाक और पहले से सोचा-विचारा मामला था । अभियुक्त की पत्नी की मृत्यु के पश्चात् उसका व्यवहार अस्वाभाविक और असामान्य था और इतना सूत्रबद्ध था कि परिस्थितियों की ऐसी श्रृंखला बनाता है जो उसकी दोषिता की ओर ही संकेत करती है । बहुमत ने यह भी विचार व्यक्त किया –

> '68. इस संदर्भ में पारिस्थितिक साक्ष्य से अभिप्रेत तथ्यों के संयोजन से सृजित होने वाला ऐसा जाल है जिसमें से अभियुक्त बच कर निकल न सकता हो क्योंकि संपूर्ण तथ्यों पर विचार करने पर उसकी दोषिता के सिवाय और कोई निष्कर्ष निकाला ही नहीं जा सकता है ।'

वर्तमान मामले में हमें अभियुक्त को व्यवहार में किसी प्रकार की असामान्तया दिखाई नहीं देती है । वह एक शिक्षित व्यक्ति और शिक्षक है । यदि उसने मृतका को किसी प्रकार का विष दिया होता हो वह प्राइवेट क्लीनिक और सरकारी अस्पताल नहीं जाता वहां मृत्यु के कारण के रूप में विष दिए जाने का तुरंत पता चल जाता है अथवा कम से कम घटना के शिकार व्यक्ति की परिचर्या करने वाले चिकित्सक को इसका पक्का संदेह हो जाता है । तथापि, अभियुक्त मृतका के साथ रहना चाहता था और उसने उसका उपचार भी कराया । वह उपचार के लिए मृतका को नवजीवन अस्पताल और सिविल अस्पताल लेकर गया ।"

52. इस न्यायालय ने **अनंत चिंतामण लागू** बनाम **बम्बई राज्य** (उपर्युक्त) वाले मामले में अपनाए गए दृष्टिकोण को भी स्पष्ट किया ।

पुनः, **शानुमुघन** बनाम **केरल राज्य**[1] वाले मामले में **भूपिंदर सिंह** बनाम **पंजाब राज्य** (उपर्युक्त) वाले मामले में के विनिश्चय का उल्लेख किया गया था । यह एक ऐसा मामला था जहां विष देकर मृत्यु कारित करने की बात विवादग्रस्त नहीं थी । विवाद केवल यह था कि क्या यह मानववध था या आत्महत्या । न्यायालय ने उन क्षतियों का उल्लेख किया जो मृतका के शरीर पर पाई गईं थीं । आहत की मृत्यु सायनाइड विष देने के कारण हुई थी जो कि एक अत्यंत क्षयकारी विष है । उक्त मामले में अभि. सा. 7 का साक्ष्य यह था कि क्षतियां जबरदस्ती विष देने के कारण पहुंच सकती थीं । अभियुक्त से क्षतियों के बारे में विनिर्दिष्ट रूप से प्रश्न किया गया था जिसके लिए उसके पास कोई उत्तर नहीं था । इन्हीं परिस्थितियों में इस न्यायालय ने **भूपिंदर सिंह** बनाम **पंजाब राज्य** (उपर्युक्त) वाले मामले के पैरा-25 को निर्दिष्ट करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि यह विष देने का मामला था । जहां तक प्रस्तुत मामले के तथ्यों का संबंध है, हमने यह पाया है कि मृतका को विष देने के संबंध में कतई कोई साक्ष्य नहीं है । यदि यह मामला किसी क्षयकारी विष का प्रयोग करके जबरदस्ती विष देने का होता, तो पीड़िता द्वारा संघर्ष और प्रतिरोध किया गया होता । इस बारे में, अभि. सा. 1 की इस बात पर विश्वास किया गया कि उसे अपनी पुत्री से तारीख 23 जनवरी, 2011 को 9.30 बजे एक फोन कॉल प्राप्त हुई थी जिसमें उसे कहा गया था कि वह हरिद्वार पहुंचे अन्यथा वे लोग उसे मार डालेंगे । इसके अतिरिक्त, आरोप पत्र में अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त घटनास्थल से बरामद सामग्री जिसमें मृतका की उलटी अंतर्विष्ट थी जिसे अभियुक्तों द्वारा साफ कर दिया गया था, के आधार पर साबित करने की प्रस्थापना की थी । तथापि, जैसा कि सेशन न्यायाधीश द्वारा उल्लेख किया गया है, अभियोजन पक्ष वाइपर के रूप में निर्दिष्ट साफ की गई सामग्री में विष की मौजूदगी को साबित करने में असमर्थ रहा था ।

---

[1] ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 1142.

53. हम आक्षेपित निर्णय के पैरा-42 की इस बात का अनुमोदन नहीं कर सकते हैं कि अभि. सा. 1 द्वारा अपनी पुत्री से प्राप्त हुई टेलीफोन कॉल के समय से लेकर सेंटरो कार में शव की बरामदगी होने तक की श्रृंखला पूर्ण है । हम उन परिस्थितियों को महत्व देने में असमर्थ हैं जो तारीख 23 जनवरी, 2011 को सवेरे प्रकट हुई थी जिनकी शुरुआत अभिकथित रूप से अभि. सा. 1 की पुत्री के फोन कॉल से हुई थी क्योंकि उसके पश्चात् केवल अन्य परिस्थिति सेंटरो कार की पिछली सीट से शव की बरामदगी है । ऐसी कोई परिस्थितियां विद्यमान नहीं हैं जो **अनंत चिंतामण लागू** बनाम **बम्बई राज्य** (उपर्युक्त) वाले मामले के पैरा-59 में इस न्यायालय द्वारा यथा अधिकथित अपेक्षा को पूर्ण करती हों । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के पैरा-34 में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को यह उल्लेख करने के लिए निर्दिष्ट किया है कि यह विष देने का मामला है । इसमें अभि. सा. 5, चिकित्सक के इस साक्ष्य को निर्दिष्ट किया गया है कि उसने स्वीकार किया था कि शव को खोलने पर आंतरिक अंग संकुलित पाए गए थे, जो विष देने के कारण हो सकता है । इस बाबत यह उल्लेख किया जा सकता है कि अभि. सा. 5 ने यह कथन किया था कि वह मृत्यु के कारण के बारे में निश्चित नहीं है । उसने यह भी कथन किया था कि खाद्य विषाक्तिकरण के कारण अंग संकुलित हो सकते हैं । अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि डाक्टर ने यह राय व्यक्त की थी कि मृत्यु तपेदिक के कारण भी हो सकती थी क्योंकि तपेदिक के मामले में आंतरिक अंग संकुलित हो सकते हैं । उच्च न्यायालय ने साक्ष्य के इस भाग को निर्दिष्ट नहीं किया था अर्थात् यह कि तपेदिक के कारण आंतरिक अंग संकुलित हो सकते थे । इसके अतिरिक्त भी, अपीलार्थियों का यह पक्षकथन है कि खाद्य विषाक्तता को विष देने की बात से प्रभेदित किया जाना चाहिए और डाक्टर ने जो उल्लेख किया है वह खाद्य विषाक्तिकरण है । उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि केवल इस कारण कि विष नहीं पाया गया है, यह नहीं किया जा सकता है कि मृतका को विष नहीं दिया गया था ।

54. इस प्रक्रम पर, यद्यपि यदि किसी प्रस्तुत मामले में ऐसा

निश्चित साक्ष्य हो जिससे विष देने की बात सिद्ध होती है तो यह सही हो सकता है विसरा में विष न पाए जाने की बात निश्चायक नहीं हो सकती है । इस मामले के तथ्यों में ऐसी स्थिति नहीं है । यह सही है कि उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने मोदी की मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड टोक्सीकालॉजी को भी निर्दिष्ट किया था, जिसमें लेखक ने निम्नलिखित उल्लेख किया है :-

> "यह संभव है कि किसी व्यक्ति की किसी विष के प्रभाव से मृत्यु हो सकती है, तो भी हो सकता है मृत्यु के पश्चातृ शरीर के अन्दर ऐसा कोई विष न पाया जाए यदि संपूर्ण विष फेफड़ों से वाष्पीकरण द्वारा समाप्त हो गया हो, या उलटी और पेट की सफाई करके उदर और आंतों से निकाल दिया गया हो और अवशोषण के पश्चात् निर्विष संयोजित हो गया हो और गुर्दों तथा अन्य वहिकाओं द्वारा शरीर से समाप्त कर दिया गया हो । कतिपय वानस्पतिक विष का विसरा से पता नहीं लगाया जा सकता है, चूंकि उनके कोई विश्वसनीय परीक्षण नहीं है, जबकि कुछ जैविक विष विशेष रूप से क्षारतत्व और शर्करा युक्त का जीवन के दौरान या मृत्यु के पश्चात् सड़न से आक्सीकरण हो सकता है, अन्य ऐसे पदार्थों में विभाजित हो सकते हैं जिनकी कोई ऐसी अभिलाक्षणिक प्रतिक्रिया न हो जो उनकी पहचान करने के लिए पर्याप्त हो ।
>
> मोदी ने ऐसे मामले देखे जिनमें विषाक्तिकरण से मृत्यु होने के निश्चित चिह्न थे, यद्यपि रसायन परीक्षक रासायनिक विश्लेषण के लिए परिरक्षित रखे गए विसरा में विष का पता लगाने में असफल रहा । इसलिए करिस्टसन द्वारा विवेकपूर्वक यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उन मामलों में जहां रासायनिक विश्लेषण करने पर कोई विष होने का पता नहीं चला है, तो विष देने के आरोप का विनिश्चय करने के लिए न्यायाधीश को साक्ष्य में लक्षणों, मरणोत्तर प्रकटनों और आचरण-संबंधी साक्ष्य का अवलोकन करना चाहिए ।"

55. ऐसा कोई लक्षण नहीं है, जो विष देने की बात को इंगित करते हों । मरणोत्तर परीक्षा में विष देने की बात को दर्शित करने वाला कोई प्रकटन सामने नहीं लाया गया है । साक्षियों के साक्ष्य से विष देने की बात सिद्ध नहीं होती है ।

56. यह ध्यान देने योग्य है कि इस मामले में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो उच्च न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सकता था कि उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्यकारी कारण हैं । विचारण न्यायालय द्वारा किए गए साक्षियों के साक्ष्य के मूल्यांकन में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है जब तक कि यह साक्ष्य का गलत अनुशीलन करने या विधि की गलत समझ पर आधारित मामला न पाया गया हो । जब उच्च न्यायालय ने यह अभिकथित किया कि अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य है कि अभियुक्त मृतका से दहेज की मांग कर रहे थे, तब उच्च न्यायालय द्वारा दस लाख रुपए की मांग की विशेषताओं पर ध्यान दिए बिना ऐसा किया गया था । जहां तक अन्य साक्ष्य का संबंध है, विचारण न्यायालय द्वारा उस साक्ष्य को विश्वासोत्पादक न होने के कारण स्वीकार नहीं किया गया था । अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि मामले में दो मत संभव थे । यदि ऐसी स्थिति थी, तो भी इस बात से उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय के उस निर्णय को उलटने का आधार प्राप्त नहीं होता है जिसमें वे निष्कर्ष अंतर्विष्ट हैं जिनको हमने निर्दिष्ट किया है । हम नहीं समझते कि यह एक ऐसा मामला है जहां विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को अनुचित कहा जा सकता हो ।

57. द्वितीय प्रत्यर्थी द्वारा एक दलील यह दी गई है कि प्रति. सा. 2 और प्रति. सा. 4 के इस अभिसाक्ष्य का अवलंब नहीं लिया जा सकता है कि मृतका ने डाक्टरों को यह बताया था कि वह तपेदिक से ग्रसित थी, क्योंकि यह एक अनुश्रुत साक्ष्य था ।

58. विचारण न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दलील नहीं दी गई थी । इसलिए हमारे लिए वास्तव में इस पर विचार

करने की आवश्यकता नहीं है । तथापि, हम केवल **सुब्रमण्यन** बनाम **लोक अभियोजक**[1] वाले मामले में प्रिवी कौंसिल द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का उल्लेख कर सकते हैं । उक्त विनिश्चय में अपीलार्थी का अवैध रूप से गोला-बारूद कब्जे में रखने के लिए विचारण किया गया था । उसकी प्रतिरक्षा यह थी कि उसे आतंकवादियों द्वारा पकड़ लिया गया था और उसे विवाध्यता में रखा गया था । आतंकवादियों द्वारा बातचीत के साक्ष्य को न्यायालय द्वारा इस आधार पर त्यक्त कर दिया गया था कि यह अनुश्रुत साक्ष्य है । प्रिवी कौंसिल ने उक्त दृष्टिकोण का अनुमोदन नहीं किया । प्रिवी कौंसिल ने निम्नलिखित अधिकथित किया :-

> "विचारण न्यायाधीश ने आतंकवादियों और अपीलार्थी के बीच बातचीत के साक्ष्य को अपरिहार्य रूप से अस्वीकार करके गलती की थी । किसी साक्षी को किसी व्यक्ति द्वारा, जो स्वयं को साक्षी नहीं कहता है, किए गए कथन का साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य हो भी सकता है और नहीं भी । यह तब अनुश्रुत और अग्राह्य होता है जब साक्ष्य का उद्देश्य उस कथन में अंतर्विष्ट सत्यता को सिद्ध करना हो । यह तब अनुश्रुत नहीं होता है और ग्राह्य है जब इसे साक्ष्य द्वारा सिद्ध करने की प्रस्थापना की जाती है, न कि कथन की सत्यता को अपितु इस तथ्य को कि यह कथन किया गया था । यह तथ्य कि कथन किया गया था, जो कि इसकी सत्यता से बिल्कुल अलग बात है, प्रायिक तौर पर उस साक्षी या उस किसी अन्य व्यक्ति, जिसकी मौजूदगी में कथन किया गया था, के कथन करने के पश्चात् की मानसिक दशा और आचरण पर विचार करने के लिए सुसंगत होता है । हमारे समक्ष मामले में, आतंकवादियों द्वारा अपीलार्थी को कथन किए गए हो सकते हैं, जो चाहे सत्य हों या न हों, यदि अपीलार्थी द्वारा उन पर विश्वास किया गया था तो उन कथनों से हो सकता है उसे युक्तियुक्त रूप से तत्काल मृत्यु

---

[1] (1956) 8 डब्ल्यू. आर. 965.

होने की आशंका हुई होगी यदि वह उनकी इच्छा के अनुरूप कार्य करने में असफल रहता है ।"

59. यदि हम उक्त सिद्धांतों का अनुसरण करते भी हैं तो मृतका द्वारा किया गया यह कथन, कि उसने डाक्टरों (प्रति. सा. 2 और प्रति. सा. 4) को अपने को टीबी से ग्रसित होने के बारे में बताया था, इस तथ्य के लिए ग्राह्य है कि उसने ऐसा कथन किया था भले ही यह कथन की सत्यता के लिए ग्राह्य न हो । इसके अतिरिक्त, चिकित्सक द्वारा ओषधियां लिखकर और रक्त परीक्षण तथा एक्स-रे कराने का आदेश देकर इस कथन पर कार्यवाही करने से यह सुसंगत और ग्राह्य प्रतीत होता है । अपीलार्थियों से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन पूछे गए प्रश्नों में उन्होंने टीबी होने का मामला गठित किया था । हमें मामले की और छानबीन करने की आवश्यकता नहीं है जिसमें यह पहलू भी सम्मिलित है कि क्या यह विषय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अधीन सुसंगत है या नहीं ।

60. हम अपीलार्थियों द्वारा अवलंबित **छोटन साव और एक अन्य** बनाम **बिहार राज्य** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय से भी समर्थन ले सकते हैं । यह वास्तव में एक ऐसा मामला था जहां मृत्यु के कारण के सिवाय भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के अधीन अपराध को साबित करने के लिए आवश्यक सभी अन्य तथ्यों को साबित किया गया था । तथापि, इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :–

"12. निस्संदेह, अभियोजन पक्ष ने <u>मृत्यु के कारण के सिवाय</u> भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के अधीन अपराध को साबित करने के लिए आवश्यक सभी अन्य तथ्यों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया है । जैसा कि विचारण न्यायालय के निर्णय से दर्शित होता है, मृतका के शरीर पर कोई क्षतियां नहीं हैं । यहां तक कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार भी मृत्यु विष देने के कारण हुई थी जिसे खाने के लिए मृतका को मजबूर किया

गया था । ऐसी परिस्थितियों में, उस डाक्टर की परीक्षा न करना, जिसने मरणोत्तर परीक्षा की थी और साथ ही मृतका के विसरा के परीक्षण से संबंधित न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रस्तुत न करना बबीता देवी की मृत्यु की प्रकृति के संबंध में अभियोजन पक्ष के पक्षकथन में एक खामी रह जाती है ।

13. राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल ने भूपिन्द्र **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य [(2014) 2 एस. सी. सी. 106 = (2014) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) = (2013) 13 स्केल 552] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लिया, जिसमें, हम में से एक न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई थे । उक्त मामले में, निस्संदेह, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि रसायन परीक्षण रिपोर्ट को प्रस्तुत करना आज्ञापक नहीं है । इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया –

> "23. इन विनिश्चयों से स्पष्ट रूप से यह प्रकट होता है कि विसरा का रसायन परीक्षण दहेज मृत्यु के हर मामले में आज्ञापक नहीं है ; यहां तक कि जब विसरा रिपोर्ट की ईप्साकी जाती है, तो इसका अभाव अभियोजन के पक्षकथन के लिए तब आवश्यक रूप से घातक नहीं होगा जब भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख या भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दंडनीय अस्वाभाविक मृत्यु हुई हो; किसी अस्वाभाविक मृत्यु के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख (सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-ख के अधीन उपधारणा) या भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-क के अधीन उपधारणा) को लागू करने के लिए जब तक कि विष देने का साक्ष्य हो, तो विष की पहचान करना सर्वथा आवश्यक नहीं हो सकेगा ।"

उस मामले में तथ्यों के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर

पहुंचा कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य है कि मृत्यु विष देने के कारण हुई थी ।

61. हमारा यह मत है कि द्वितीय प्रत्यर्थी को द्वितीय अपीलार्थी द्वारा अपनी पत्नी के जमानत आवेदन से संलग्न शपथपत्र में किए गए इस आशय के कथन का अवलंब लेने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए कि मृतका ने स्वयं विष खाया था । स्पष्ट तौर पर, विचारण में ऐसा साक्ष्य नहीं है ।

62. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इस मामले में इस तथ्य के अतिरिक्त कि अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में समर्थ नहीं रहा है कि मृत्यु का कारण अस्वाभाविक था, अभियुक्तों द्वारा दस लाख रुपए की मांग करने के बारे में गठित किया गया पक्षकथन परस्पर-विरोधी विरोधाभासों से भरा पड़ा है । न तो मरणोत्तर परीक्षा और न ही न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट से कोई विषाक्तिकरण की बात दर्शित होती है । अपीलार्थियों के मकान से कतई कोई विष बरामद नहीं हुआ था । मृतका के शरीर पर किसी क्षति का कतई कोई चिह्न नहीं था । अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार, यहां तक कि बरामद की गई सामग्री (वाइपर), जिसे अभिकथित रूप से मृतका की उलटी को साफ करने के लिए प्रयुक्त किया गया था, से भी किसी विष का प्रकटीकरण नहीं हुआ था । चिकित्सक (प्रति. सा. 2) के इस कथन की अनदेखी नहीं की जा सकती है कि मृतका का वजन तारीख 11 मई, 2010 को 39 किलोग्राम था और वजन सामान्य से कम था । इसी प्रकार प्रति. सा. 4 के इस कथन की भी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि डाक्टर ने रक्त-अल्पता के लिए ओषधि लिखी थी क्योंकि मृतका ने पूर्व में तपेदिक होने के बारे में बताया था । इस साक्ष्य की अनदेखी नहीं की जा सकती है कि वर्ष 2007 में मृतका को रक्त परीक्षण और एक्स-रे कराने का परामर्श यह पुष्टि करने के लिए दिया गया था कि क्या टीबी पूर्ण रूप से ठीक हुई है या नहीं और रोगी कोई एक्स-रे या रक्त की रिपोर्ट नहीं लाई थी । साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ख इस मामले में लागू नहीं हो सकेगी और इसका कारण यह है कि धारा 113-ख लागू करने के लिए अवश्य यह साक्ष्य होना चाहिए जिससे यह साबित होता हो कि व्यक्ति की मृत्यु से कुछ पूर्व उस व्यक्ति ने जिसने अभिकथित रूप से मृत्यु

कारित की थी, मृतका के साथ दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता की थी या उसे तंग किया था । हमने इस संबंध में साक्ष्य की स्थिति पर विचार किया है । हमारा यह भी मत है कि इस मामले के तथ्यों में उच्च न्यायालय के लिए विचारण न्यायालय द्वारा की गई दोषमुक्ति को उलटने का कतई कोई न्यायोचित्य नहीं था ।

63. हमारे मत में, उच्च न्यायालय ने किसी न्यायोचित्य के बिना दोषमुक्ति को उलट दिया था । उच्च न्यायालय ने इस परिस्थिति का अवलंब लिया कि मृतका का शव कार से बरामद हुआ था । प्रथम अपीलार्थी का यह पक्षकथन है कि वह मृतका को कई सारे अस्पतालों में लेकर गया था । यह भी पक्षकथन है कि उन्होंने स्वयं पुलिस को सूचित किया था । हम इस परिस्थिति को निश्चित रूप से एक ऐसी परिस्थिति नहीं पाते हैं जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि मृतका की अस्वाभाविक मृत्यु हई थी या अपीलार्थियों ने उसे विष दिया था । हमारा यह विचार है कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों की दोषमुक्ति में हस्तक्षेप करके स्पष्ट रूप से गलती की थी । इन अपीलों को मंजूर किया जाना चाहिए । अत: हम इन अपीलों को मंजूर करते हैं । उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है और सेशन न्यायाधीश का निर्णय प्रत्यावर्तित किया जाता है । प्रथम अपीलार्थी को, जो अभिरक्षा में है, यदि किसी अन्य मामले में उसकी अभिरक्षा आवश्यक न हो, रिहा किया जाएगा । चूंकि अपीलार्थी सं. 2 और 3 पहले से जमानत पर हैं, उनके जमानत बंधपत्र उन्मोचित हो जाएंगे ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

जस.